



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/MAGHA 30, 1937

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

फा. सं. 12/01/2010-प्रशा.एफ.एस.एस.ए.आई.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2016 का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त विनियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विचार किया जाएगा।

ऐसे आपत्तियों और सुझावों को, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को अग्रपिप्त किया जा सकता है।

प्रारूप विनियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये इन विनियमों के संलग्नक - I में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "खाद्य प्राधिकरण" से खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "कर्मचारी" से खाद्य प्राधिकरण के नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत है और उनमें प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा पर लिए गए अधिकारी और कर्मचारी भी हैं;

(छ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संलग्नक में विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर विचार किए जाने के लिए पात्र है;

(झ) "आयु" से संलग्नक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा अभिप्रेत है;

(ञ) खाद्य प्राधिकरण के अधीन किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से,-

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दशा में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) ऐसे सभी समूह 'क' पदों के लिए, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रु. और उससे अधिक है, किन्तु उनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल नहीं है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(iii) ऐसे सभी समूह 'क' पदों के लिए, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रु. से कम है, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(iv) सभी समूह 'ख' पदों के लिए, प्राधिकरण का मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी; और

(v) सभी स्वीकृत समूह 'ग' पदों की बाबत, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय या प्राधिकरण के प्रादेशिक कार्यालयों या प्रयोगशालाओं में उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन स्थापना का प्रभारी निदेशक;

अभिप्रेत है;

(ट) खाद्य प्राधिकरण के अधीन किसी पद के संबंध में "अनुशासनिक प्राधिकारी" से -

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दशा में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) ऐसे सभी समूह 'क' पदों के लिए, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रु. और उससे अधिक है, किन्तु उनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल नहीं है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(iii) ऐसे सभी समूह 'क' पदों के लिए, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रु. से कम है, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(iv) सभी समूह 'ख' पदों के लिए, प्राधिकरण का मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी; और

(v) अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन सभी स्वीकृत समूह 'ग' पदों की बाबत, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय या प्राधिकरण के प्रादेशिक कार्यालयों या प्रयोगशालाओं में स्थापना का प्रभारी निदेशक;

अभिप्रेत है;

(ठ) खाद्य प्राधिकरण के अधीन किसी पद के संबंध में "अपील प्राधिकारी" से -

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए, केन्द्रीय सरकार में समुचित प्राधिकारी;

(ii) सभी समूह 'क' पदों के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(iii) सभी समूह 'ख' पदों के लिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी; और

(iv) सभी समूह 'ग' पदों के लिए, प्राधिकरण का मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी;

अभिप्रेत है;

(ड) खाद्य प्राधिकरण के अधीन किसी पद के संबंध में "समीक्षा प्राधिकारी" से,-

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दशा में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) ऐसे सभी समूह 'क' पदों के लिए, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रु. और उससे अधिक है किन्तु इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल नहीं है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(iii) ऊपर (ii) से भिन्न सभी समूह 'क' पदों और सभी समूह 'ख' पदों के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष; और

(iv) समूह 'ग' के समतुल्य सभी पदों के लिए, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

अभिप्रेत है;

(ढ) "सीधी नियुक्ति" से खाद्य प्राधिकरण द्वारा समुचित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है या संविदात्मक आधार पर की गई नियुक्ति से भिन्न, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के आधार पर की गई कोई नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "अल्पकालिक संविदा" से गैर-सरकारी संगठनों, जैसे विश्वविद्यालयों, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों की खाद्य प्राधिकरण में एक सीमित अवधि के लिए बाह्य सेवा निबंधनों के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती की पद्धति अभिप्रेत है;

(त) "स्थायी कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी पद पर, जो किसी समय-सीमा के बिना स्वीकृत किया गया है, नियुक्त किया गया है और जिसे परिवीक्षा अवधि संतोषजनक से पूरी करने के पश्चात् पुष्ट किया गया है;

(थ) "परिवीक्षाधीन व्यक्ति" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया गया है किन्तु उसे स्थायी नहीं किया गया है;

(द) “अस्थायी कर्मचारी” से ऐसी कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्वीकृत किसी अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया है या किसी स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ध) “संविदा कर्मचारी” से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसका नियोजन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर है;

(धध) “अनियत कर्मचारी” से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसका नियोजन यदा-कदा या आकस्मिक प्रकृति का है;

(धधध) “अंशकालिक कर्मचारी” से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे अंशकालिक आधार पर सेवा प्रदान करने के लिए न कि पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के लिए नियमित कालवेतनमान पर नियुक्त किया गया है;

(न) “संलग्नक” से इन विनियमों से संलग्न संलग्नक अभिप्रेत है;

(प) “कृत्य” से खाद्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्य अभिप्रेत है;

(फ) “सेवा” से खाद्य प्राधिकरण के अधीन सेवा अभिप्रेत है;

(ब) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षिक बोर्ड” से भारत में विधि द्वारा निगमित और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(भ) “समिति” से इन विनियमों के अधीन संलग्नक या विनिर्दिष्ट उपबंधों में यथा-विनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति, विभागीय प्रोन्नति समिति, संवीक्षा या विशेषज्ञ समिति या निर्धारण बोर्ड अभिप्रेत है;

(म) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34), उसके बाद साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) में हैं।

अध्याय 2

पदों का वर्गीकरण और स्वीकृत पद-संख्या

3. आरंभिक गठन— इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्त सभी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा की गई सेवा की गणना प्रोन्नति और अन्य हितलाभों के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

4. पदों का वर्गीकरण – (1) खाद्य प्राधिकरण के पदों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:-

क्रम सं.	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	वे पद, जिनका पे-बैंड-3 (15600-39100 रु.) में ग्रेड वेतन 5400 रु. और उससे अधिक है।	समूह “क”
2	वे पद, जिनका पे-बैंड-2 (9300-34800 रु.) में ग्रेड वेतन 4200 रु. और उससे अधिक है।	समूह “ख”
3	वे पद, जिनका पे-बैंड-1 (5200-20200 रु.) में ग्रेड वेतन 2800 रु. तक है।	समूह “ग”

(2) वेतन और अधिकतम वेतनमान के उपर्युक्त आंकड़े वे हैं जो तारीख 1 जनवरी, 2006 को विद्यमान थे और वे पूर्ववर्ती पुनरीक्षणों में नियत वेतन और अधिकतम वेतनमान से तत्स्थानी रूप से संबद्ध होंगे तथा समय-समय पर वेतनमानों के पुनरीक्षणों द्वारा तत्स्थानी रूप से प्रतिस्थापित भी किए जाएंगे।

5. काडर, पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान – (1) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में चार सुभिन्न सेवाएं होंगी, अर्थात्, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण वैज्ञानिक सेवा, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंधन सेवा तथा इसके अलावा सेवा या काडर संरचना से बाहर कुछ वरिष्ठ स्तर के पद भी होंगे।

(2) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में सभी स्वीकृत समूह 'क' और समूह 'ख' पदों का काडर प्रबंधन केन्द्रीय रूप से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्यालय में किया जाएगा।

(3) स्वीकृत समूह 'ग' पदों का काडर प्रबंधन मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और प्रयोगशालाओं द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले सभी स्वीकृत पदों के विषय में नियंत्रित होगा। तथापि, ऐसे समूह 'ग' पदधारियों के लिए, जिन्हें खाद्य प्राधिकरण में आमेलित किए जाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उनका काडर प्रबंधन मुख्यालय में ही नियंत्रित होगा।

(4) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो संलग्नक - I में विनिर्दिष्ट हैं।

6. भर्ती या नियुक्ति की पद्धति – (i) खाद्य प्राधिकरण में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां इन विनियमों के अधीन उपबंधों के अनुसार और संलग्नक 2 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में या तो सीधी भर्ती द्वारा या अल्पकालिक संविदा पर या बाह्य सेवा निबंधनों के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन पर नियुक्ति द्वारा या प्रोन्नति के आधार पर या खोज-सह-चयन प्रक्रिया के माध्यम से या पुनर्नियोजन के आधार पर की जा सकेंगी;

(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालयों या विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सरकारों और मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा, जिनमें खाद्य प्राधिकरण की अपेक्षा के अनुरूप अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले और खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति हो सकते हैं।

7. खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए साधारण शर्तें – उपविनियम (1) से उपविनियम (9) में विनिर्दिष्ट साधारण शर्तें खाद्य प्राधिकरण में सभी नियुक्तियों पर लागू होंगी।

(1) खाद्य प्राधिकरण को, जब तक अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए अधिकार प्राप्त है;

(2) इन विनियमों की कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु सीमा के शिथिलीकरण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने के लिए अपेक्षित अन्य छूटों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी;

(3) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(4) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह –

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) नागरिकता की ऐसी किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र के रूप में अधिसूचित है:

परन्तु किसी व्यक्ति को नागरिकता के अन्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा यदि भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पात्रता प्रमाणपत्र दे दिया गया हो।

(5) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण की सेवा में तभी नियुक्त किया जाएगा यदि –

(क) उसका नैतिक आचरण अच्छा है और उसे इससे पूर्व किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है, जो कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्ररूप-1 में प्रमाणित किया जाएगा;

(ख) उसे किसी सरकार या लोक उद्यम या प्राइवेट नौकरी या किसी अन्य संगठन से नैतिक अधमता वाले अवचार के आधारों पर या अन्यथा पदच्युत नहीं किया गया या हटाया नहीं गया है या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया गया है।

(6) (क) वह व्यक्ति,-

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पूर्व प्ररूप-2 में विवाह संबंधी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी;

परन्तु यदि नियंत्रक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(7) (क) प्रत्येक कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति पर या खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर अपनी जन्म-तारीख ईसवीं सन् के अनुसार घोषित करेगा और उसकी पुष्टिस्वरूप दस्तावेज़ी साक्ष्य, जैसे मैट्रिकुलेशन या विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र या नगरपालिका या निगम से जन्म प्रमाणपत्र और उनके अभाव में ऐसा साक्ष्य, जो कि नियंत्रक प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, प्रस्तुत करेगा। बाद में, नियुक्ति के पश्चात् जन्म-तारीख के संबंध में विवाद नहीं किया जा सकता है।

(ख) यदि कोई कर्मचारी अपनी आयु के संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह अपनी आयु का कथन करेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथित यह घोषणा करने वाला लिखित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा कथित आयु सही है। ऐसे कर्मचारी की सेवाएं, जो अपनी आयु के समर्थन में मिथ्या शपथपत्र या प्रमाणपत्र देता है, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक हो, तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और वह ऐसी किसी विधिक कार्रवाई के लिए दायी होगा जो खाद्य प्राधिकरण उपयुक्त समझे। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(8) (क) कोई व्यक्ति (प्रतिनियुक्त व्यक्ति से भिन्न), खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी आरोग्यता प्रमाणपत्र या स्वस्थता प्रमाणपत्र के बिना, खाद्य प्राधिकरण में किसी पद पर आरंभिक रूप से तीन मास से अधिक की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति के खाद्य प्राधिकरण की सेवाओं में आमेलित किए जाने की दशा में उसे अपने आमेलन के समय चिकित्सा परीक्षा करानी आवश्यक होगी। सभी नियुक्तियां, उस पद के लिए, जिस पर उसका चयन किया जाता है, विहित मानकों के अनुसार चिकित्सीय आरोग्यता के अध्यधीन होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विषय पर अंतिम विनिश्चय करने के लिए खाद्य प्राधिकरण के, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड या ऐसे चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड की, जो खाद्य प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में पदाभिहित किया जाए, राय को विचार में लिया जाएगा।

ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात्, जो प्राधिकरण विहित करे, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है और किसी ऐसी मानसिक या शारीरिक कमी से ग्रस्त है जिससे सेवा के कर्तव्यों का निर्वहन करने में हस्तक्षेप पड़ने की संभावना है, उन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस तथ्य से कि किसी अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा की गई है, यह अभिप्रेत या विवक्षित नहीं है कि उस पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) खाद्य प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार किसी कर्मचारी की खाद्य प्राधिकरण में उसके नियोजन की अवधि के दौरान किसी समय चिकित्सीय परीक्षा करा सकेगा।

(ग) अभ्यर्थी को प्रस्तावित पद पर कार्य ग्रहण करने पर यात्रा, ठहरने से भिन्न, चिकित्सा फीस और विभिन्न परीक्षणों या ऐसे अन्य परीक्षणों के लिए, जो चिकित्सा परीक्षा के लिए किए जाने अपेक्षित हों, उपगत अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति आवश्यक बिल या वाउचर प्रस्तुत करने पर खाद्य प्राधिकरण की अनुज्ञेय दरों के अनुसार की जाएगी।

(9) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्,-

(क) प्ररूप-3 में यथा-विनिर्दिष्ट सम्यक् रूप से संपूरित (अनुप्रमाणन) प्ररूप नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की तीन प्रतियों सहित;

(ख) प्रत्येक कर्मचारी, खाद्य प्राधिकरण की सेवा में प्रवेश करने पर खाद्य प्राधिकरण को अपने आवासीय पते और समय-समय पर उसमें होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना देगा;

(ग) प्रत्येक कर्मचारी, अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास के भीतर गृह नगर के पते की बाबत ऐसी घोषणा, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा जिसके न हो सकने पर खाद्य प्राधिकरण में उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय आवेदन-पत्र में यथा-प्रविष्ट स्थायी पता इस प्रयोजनार्थ विचार में लिया जाएगा:

परन्तु कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में एक बार अपने गृह नगर पते में परिवर्तन कर सकेगा;

(घ) प्रत्येक कर्मचारी, खाद्य प्राधिकरण में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित प्ररूप में, निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां देते हुए, आस्तियों और दायित्वों की एक विवरणी और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा,-

(i) उसे विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में अर्जित या पट्टे या बंधक पर धारित अचल संपत्ति;

(ii) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा अर्जित या धारित शेयर, डिबेंचर और नकदी, जिसमें बैंक जमा भी हैं;

(iii) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य चल संपत्ति, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य समूह 'क' और समूह 'ख' कर्मचारियों की दशा में क्रमशः 20,000 रुपए और समूह 'ग' कर्मचारियों की दशा में 15,000 रुपए से अधिक है;

(iv) उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपगत ऋण और अन्य दायित्व;

(ङ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समतुल्य हैसियत वाले अधिकारियों से चरित्र प्रमाणपत्र;

(च) शैक्षिक अर्हताओं के समर्थन में डिग्री या डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां;

(छ) पिछले नियोजक से पदमुक्ति आदेश और अंतिम वेतन प्रमाणपत्र(नए प्रवेश करने वाले कर्मचारी द्वारा तब प्रस्तुत करना होगा यदि वह इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियोजित था);

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का होने के दावे के समर्थन में, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा-प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र।

टिप्पणी – इन विनियमों के खंडों के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

8. भर्ती के मानदंड -

(1) खाद्य प्राधिकरण के स्वीकृत पदों पर सभी नियुक्तियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के संलग्नक 2 और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों में अंतर्विष्ट भर्ती की पद्धति और अर्हताओं, अनुभव और अधिकतम आयु सीमा के अनुसार रिक्तियों को भरकर की जाएगी।

(2) सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं वे होंगी जो संलग्नक 2 में विनिर्दिष्ट हैं और संबंधित पदों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जैसा कि अपेक्षित हो, पदों को विज्ञापित करने से पूर्व नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(3) संलग्नक 2 में विनिर्दिष्ट अनुभव, अभ्यर्थी द्वारा पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् अर्जित अनुभव होगा।

(4) निदेशक और उससे ऊपर के स्तर वाले पदों के लिए अनुभव ऐसे वरिष्ठ स्तर पर होगा, जिसके पास कार्य क्षेत्र में पूर्ण सक्षमता है और जो परियोजनाओं या कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम होगा।

(5) अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव का सही स्वरूप, जैसा कि **संलग्नक 2** में दिया गया है, सुसंगत पद के विज्ञापन में उपदर्शित किया जाएगा।

(6) अन्यथा बेहतर या अधिक अहर्ता अभ्यर्थियों की दशा में, अनुभव संबंधी अपेक्षा, नियंत्रक प्राधिकारी के विवेकानुसार चयन समिति की सिफारिशों पर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती है।

(7) अनुभव संबंधी अपेक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में भी शिथिल की जा सकती है, यदि चयन के किसी चरण में नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8) भर्ती **संलग्नक 2** में सम्मिलित उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(9) समितियां अपनी सिफारिशें, आयोजित साक्षात्कार और अभ्यर्थियों के पिछले कार्य-संपादन के मूल्यांकन और इन विनियमों के अधीन यथा-उपबंधित किसी अन्य प्रक्रिया के आधार पर करेंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, जहां ऐसा वांछनीय समझे, यह भी निर्धारित कर सकेगा कि अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा भी चयन प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए अथवा नहीं।

(10) इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट समितियों की सिफारिशें उस तारीख से, जिसको नियुक्ति प्राधिकारी सिफारिशों का अनुमोदन करता है, प्रभावी होंगी।

9. रिक्तियों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली साधारण प्रक्रिया

(1) **रिक्तियों की घोषणा** —खाद्य प्राधिकरण सीधी भर्ती, बाह्य सेवा के निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है और खोज-सह-चयन प्रक्रिया के माध्यम से या खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन आमंत्रित करके भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की घोषणा करेगा और समुचित मीडिया, जिसमें एम्प्लायमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार भी है, का उपयोग करके सूचना की लक्षित समूह तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करेगा।

(2) **आवेदन के लिए प्ररूप और शर्तें विहित करना** — खाद्य प्राधिकरण, वह प्ररूप, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, आवेदनों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने की पद्धति, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख, फीस और आवेदकों से प्रभारित किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, विहित कर सकेगा।

(3) **आवेदनों का प्रक्रमण**— नियुक्ति प्राधिकारी, स्वयं द्वारा गठित संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, विनियमों में उन पदों के लिए अधिकथित पात्रता या अनुभव संबंधी मानदंड, कार्य की अपेक्षाओं और अभ्यर्थियों के जीवनवृत्त के अनुसार आगे प्रक्रमण के लिए अभ्यर्थियों कोचयनित करेगा।

(4) **चयन की पद्धति** — नियुक्ति प्राधिकारी, चयनित अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए चयन की पद्धति, जिसमें आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस या परिपत्र में विनिर्दिष्ट लिखित परीक्षा या साक्षात्कार भी है, विहित कर सकेगा।

(5) **चयन समिति का गठन** — **संलग्नक 2** में यथा-विहित चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के पश्चात् नियुक्ति के लिए सिफारिशें करेगी।

(6) **अभ्यर्थियों की चयन सूची** — चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा-स्वीकृत, योग्यता-क्रम के अनुसार व्यवस्थित अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जो कि एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए, जो नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, विधिमान्य रहेगी।

(7) अभ्यर्थियों का चयन—

(क) चयन सूची के अभ्यर्थियों को विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तक सीमित नियुक्ति-पत्र, चयन सूची में दर्शाए गए योग्यता-क्रम में जारी किए जाएंगे जिनमें वह समय-सीमा, जिसके भीतर अभ्यर्थी को पदग्रहण करना चाहिए, विनिर्दिष्ट की जाएगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकेगी;

(ख) नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र में वे शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व पूरी की जानी हैं;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी, अपना नियुक्ति-पत्र रद्द कर सकेगा यदि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व विहित किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है या यदि अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट समय के भीतर पदग्रहण करने में असफल रहता है;

(घ) सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होंगी;

(ङ) जहां कोई नियुक्ति-पत्र ऊपर खंड (ग) में विहित रीति में रद्द किया जाता है, वहां चयन सूची में योग्यता-क्रम में उससे ठीक नीचे वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी किया जाएगा।

10. सीधी भर्ती -

(1)(क) वे रिक्तियां, जो भरी जानी हैं, कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों, एम्पलायमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार में विज्ञापित की जाएंगी;

(ख) ऐसे आवेदन, जो विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्राप्त नहीं होते हैं या जो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा किए गए हैं, जो अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, संक्षेपतः नामंजूर कर दिए जाएंगे:

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने के लिए दिया गया समय बढ़ा सकेगा।

(2) संलग्नक 2 और इन विनियमों के अधीन अन्य उपबंधों में यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, जहां वह वांछनीय समझे, यह भी निर्धारित कर सकेगा कि अभ्यर्थियों की परीक्षा भी चयन प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए अथवा नहीं।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार, चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों का पैल रख सकेगा, जिन्हें संबंधित पदों पर भावी रिक्तियों के अधीन नियोजन की प्रस्ताव किया जा सकेगा। यदि ऐसे नामों का कोई पैल तैयार किया जाता है और रखा जाता है तो वह उसके अनुमोदन की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा।

(4) यदि किसी विभागीय अभ्यर्थी का सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(5) कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा परिवीक्षा अवधि के संतोषप्रद रूप से पूरा होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(6) किसी सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति को, किसी पात्र मामले में चयन समिति की सिफारिशों पर उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, उस पद के, जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है, न्यूनतम वेतनमान से उच्चतर आरंभिक वेतन दिया जा सकेगा:

परन्तु ऐसा आरंभिक वेतन न्यूनतम वेतनमान से ऊपर दो अग्रिम वेतनवृद्धियों से अधिक नहीं होगा।

11. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा

(1) प्रत्येक श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा वह होगी, जो संलग्नक 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे सिविलियन कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक पांच वर्ष की नियमित और सतत सेवा पूरी कर ली है, ऊपरी आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, विशेषित क्षेत्रों में उच्चतर अनुभवप्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में सभी श्रेणियों के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल कर सकेगा, जिसे सभी व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए, आवेदन आमंत्रित करते समय न्यूनतम अनुज्ञेय शिथिलता के साथ विज्ञापित किया जा सकेगा।

टिप्पणी:- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख विज्ञापित पदों की ऊपरी आयु सीमा का अवधारण करने की तारीख होगी।

12. आमेलन- (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों या विभागों, विश्वविद्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के अभ्यर्थियों को आमेलन के आधार पर, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, भर्ती किया जा सकेगा:--

(i) अभ्यर्थी के पास उपबंध 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; और

(ii) अभ्यर्थी उस पद के, जिसके लिए आवेदन किया गया है, सदृश पद धारण किए हुए हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर, समुचित आदेश द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो पहले से खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है, स्थायी आमेलन के आधार पर नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में तभी आमेलित किया जाएगा, यदि -

(क) ऐसे व्यक्ति ने खाद्य प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने का विकल्प खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा करने पर, लिखित में दे दिया हो; और

(ख) ऐसे व्यक्ति के पास इन विनियमों के संलग्नक 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो और उसने खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उपरोक्त उपविनियम (1) और उपविनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को-

(क) चयन समिति की सिफारिश पर और खाद्य प्राधिकरण में उस व्यक्ति की उपयुक्तता और अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) यथास्थिति, मूल मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सांविधिक अथवा स्वशासी निकाय से परामर्श करके, आमेलित किए जाने पर विचार कर सकेगा।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के अधीन खाद्य प्राधिकरण को स्थानांतरित उन कर्मचारियों का आमेलन, जो खाद्य प्राधिकरण में स्थायी आमेलन का विकल्प अपनाते हैं, उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

13. प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)--(1) इन विनियमों के अधीन खाद्य प्राधिकरण में अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्ति पर, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, की गई सभी नियुक्तियां पहली बार तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होंगी, जिसे नियंत्रक प्राधिकारी के विवेकानुसार दो और वर्ष के लिए विस्तारित या नवीकृत किया जा सकेगा जो अभ्यर्थी की कार्यपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, मूल विभाग से परामर्श करके, किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों या विभागों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं से अभ्यर्थियों को, प्रतिनियुक्ति पर, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए, लिया जा सकेगा, अर्थात्:-

(i) उनके पास संलग्नक 2 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; और

(ii) जिन्होंने उस पद के, जिसके लिए आवेदन किया गया है, कोई सदृश पद धारण किया हुआ हो या निचले पद पर न्यूनतम उतने वर्ष की सेवा की हुई है, जितने वर्ष की सेवा प्रतिनियुक्ति के पद पर या उसके सदृश पद पर प्रोन्नति के लिए अपेक्षित है।

(3) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, जिसे नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन से, कर्मचारी के मूल संगठन से परामर्श करके, दो और वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

(4) ऐसे विभागीय अभ्यर्थी (खाद्य प्राधिकरण के कर्मचारी), जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, उन काडर-बाह्य पदों के सिवाय, जिनके लिए वे प्रदायक ग्रेड अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(5) ऐसी रिक्तियां, जो भर्ती की विहित पद्धति के निबंधनों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जानी अपेक्षित हैं या जो पदधारियों के एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र होने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है, उतनी अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं के अधिकारियों से भरी जा सकेंगी।

(6) यदि किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर किसी विभाग या संगठन में भेजा जाता है, तो ऐसे कर्मचारी की सेवा के निबंधन और शर्तें खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों के अधीन शास्ति होंगी और वह ऐसे सभी फायदों के लिए पात्र होगा जो उस कर्मचारी को ऐसी प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व उपलब्ध थे।

14. खोज-सह-चयन -

(1) उन पदों पर, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, नियुक्ति भारत सरकार द्वारा गठित की जाने वाली खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। संलग्नक 2 में यथाविनिर्दिष्ट उन पदों को, जिनका ग्रेड वेतन 10,000 रुपए तक है, प्राधिकरण द्वारा खोज-सह-चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) अभ्यर्थियों को आरंभ में, तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक या उनके साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संलग्नक 2 में यथाविनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) ऐसा पैनल, जिसकी खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश की गई है, एक वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है, तो नया पैनल तैयार करने के लिए नए सिरे से खोज-सह-चयन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसी समिति पूर्ववर्ती पैनल के व्यक्तियों के नामों पर भी विचार कर सकेगी।

(4) इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वैसा होगा जो संलग्नक 2 में विनिर्दिष्ट है, किन्तु अनुभव की न्यूनतम अवधि को अति उच्च विशेषज्ञीय शिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु यह तब होगा जबकि खोज-सह-चयन समिति द्वारा इस प्रकार लिखित अभिलेखबद्ध किया गया हो। शिथिलीकरण के उपबंध तथा विस्तार को रिक्ति के परिपत्र अथवा विज्ञापन में समाविष्ट किया जाएगा।

(5) रिक्ति को विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों या स्वशासी निकायों या सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के बीच व्यापक विज्ञापन के माध्यम से बृहत रूप से प्रचारित किया जाएगा और उसे खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नियुक्ति संबंधी परिपत्र या विज्ञापन को देखकर आवेदन करने के लिए कम से कम चार सप्ताह की न्यूनतम अवधि दी जाएगी।

15. प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति-

(1) ऐसे नियमित कर्मचारियों की, जो संलग्नक 2 में यथाविहित पात्रता का मापदंड और अनुभव पूरा करते हैं, भिन्न-भिन्न ग्रेडों में, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में निचले या प्रदायक ग्रेडों से अगले उच्चतर पद पर उनके वरिष्ठता-क्रम में और विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन सरकार के उस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) वरिष्ठता -

(क) खाद्य प्राधिकरण के उन कर्मचारियों की, जो आरंभ में काडर के बनाए जाने के समय किसी पद पर या ग्रेड में नियुक्त किए गए हैं, सापेक्ष वरिष्ठता खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसे कर्मचारियों द्वारा खाद्य प्राधिकरण के ढांचे में तत्समान ग्रेड

में या मूल पद के समतुल्य पद पर उनके आमेलन की तारीख से और जब तक इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को अभिप्राप्त उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होने विशेष कारणों से अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, नियत की जाएगी।

(ख) ऐसे सभी अधिकारी, जो आरंभतः काडर बनाए जाने में किसी पद पर या ग्रेड में सम्मिलित किए गए हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तत्पश्चात् उस पद पर या ग्रेड में नियुक्त सभी अधिकारियों से वरिष्ठ रैंक में होंगे;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है और बाद में आमेलित कर दिया गया है, उसी पद पर या ग्रेड में, जिसमें उसे आमेलित किया गया है, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि वह पहले से ही (आमेलन की तारीख को) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर वही या समतुल्य पद अथवा ग्रेड धारण किए हुए है, तो उस पद या ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को उसकी वरिष्ठता का नियतन करने में भी इस शर्त के अधीन रहते हुए हिसाब में लिया जाएगा कि उसे वरिष्ठता-

(i) उस तारीख से, जिससे वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किए हुए है; या

(ii) उस तारीख से, जिससे उसे उसके मूल विभाग में उसी या समतुल्य पद अथवा ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दी जाएगी :

परन्तु वरिष्ठता का नियतन साधारण अनुदेशों या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित वरिष्ठता के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा और तथापि, किसी स्थानांतरिती की वरिष्ठता उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार नियतन का किए जाने का ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व अगले उच्चतर ग्रेड में की गई किन्हीं नियमित प्रोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(घ) उपरोक्त उपबंध के अंतर्गत न आने वाले किसी अधिकारी की वरिष्ठता का अवधारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता मापदंडों के पूरा किए जाने मात्र से किसी व्यक्ति को अगले उच्चतर पद या ग्रेड में प्रोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा। प्रोन्नति के मामलों पर, अगले उच्चतर पद पर या ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को देखते हुए, प्रशासनिक समीचीनता के अधीन रहते हुए, विचार किया जाएगा।

16. पुनर्नियोजन-

(1) खाद्य प्राधिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन से, केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी को, जहां पदों को सम्मिलित प्रयासों के बावजूद नहीं भरा जा सकता और यदि पदों को भरा नहीं जाता तो उससे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति वाले पदों पर पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु प्रोन्नति वाले पदों पर ऐसी नियुक्तियां केवल ऐसी अवधि के लिए होंगी जब तक कि नियमित प्रोन्नति संबंधी चैनल के अधीन पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है :

परन्तु यह और तब जबकि -

(i) अभ्यर्थी के पास संलग्नक 2 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; और

(ii) अभ्यर्थी ने उस पद के, जिसके लिए आवेदन किया गया है, सदृश कोई पद धारण किया हुआ हो :

परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में पुनर्नियोजन के आधार पर केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उस व्यक्ति ने (क) खाद्य प्राधिकरण में विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त उपविनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को--

(क) विशेषज्ञ चयन समिति की सिफारिश पर और खाद्य प्राधिकरण में उस व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियुक्त करेगा,

(ख) यदि वह उस पद पर जिसके संबंध में पुनर्नियोजन पर विचार किया जा रहा है, सीधे भर्ती के लिए उपबंधित साधारण और विशेष शर्तों को, सिवाय ऊपरी आयु सीमा के बारे में, जो पुनर्नियोजित व्यक्तियों के मामले में किसी भी दशा में अधिकतम पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी, पूरा करता है; और

(ग) पुनर्नियोजित व्यक्तियों का वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार (ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिनके पुनर्नियोजन पर विचार किया जा रहा है) पूर्व नियोजन से आहरित पेंशन को हिसाब में लेते हुए, नियत किए जाएंगे।

17. संविदा पर नियुक्ति-

खाद्य प्राधिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन से, कर्मचारियों को, अल्पकालिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, ऐसी प्रवेश अर्हताओं, संविदा की समय सीमा तथा निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

18. पशु-चिकित्सा तथा चिकित्सा डिग्री धारकों को भत्ते- ऐसे तकनीकी और वैज्ञानिक काडर पदों के अधीन, जहां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित भरे जाने वाले पद पर नियुक्ति के लिए पशु चिकित्सीय या चिकित्सीय डिग्री अनिवार्य अर्हता है, नियुक्त व्यक्ति ऐसा प्रेक्टिस बंदी भत्ता अनुदत्त किए जाने के पात्र होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य प्रस्थिति के कर्मचारी को मिलता है।

19. कतिपय मामलों में उच्चतर ग्रेड और निम्नतर ग्रेड में कर्तव्यों का निर्वहन- नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा,--

(i) अधिकारी या कर्मचारिवृंद के सदस्य को, कोई विशिष्ट पद और उत्तरदायित्व धारण करते रहते हुए अगले उच्चतर पद के कार्य को, ऐसे अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, बिना किसी आर्थिक फायदे के देखने का निदेश दे सकेगा; या

(ii) काडर में किसी उच्चतर ग्रेड के किसी अधिकारी को, ऐसा पद धारण करते हुए, ठीक निम्नतर ग्रेड के किसी पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को देखने का निदेश दे सकेगा।

20. अन्य सेवा-शर्तें, भारत में और बाहर सेवा करने का दायित्व- (1) नियुक्त किए गए कर्मचारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

(2) नियुक्त किए गए कर्मचारी भारत या विदेश में ऐसा प्रशिक्षण लेने और ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने के दायित्वाधीन होंगे जैसा नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर विनिश्चय करे।

(3) ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए, जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक है, तैनात किसी कर्मचारी से या भारत के बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए तैनात किए कर्मचारी से, प्रशिक्षण की अवधि का विचारकिए बिना न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्य प्राधिकरण में सेवा करने का एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी और यदि वह किसी कारणवश, प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतरखाद्य प्राधिकरण में अपनी सेवा जारी न रखने का विकल्प अपनाता है तो वह प्रशिक्षण के पूरे खर्च को लौटाने के दायित्वाधीन होगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पूर्व शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन शपथ लेगा।

21. सेवा का प्रारंभ- कर्मचारी की सेवा, यदि वह ऐसी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट पूर्वाह्न में करता/करती है, उस कार्यदिवस से प्रारंभ होगी जिसको ऐसा कर्मचारी नियुक्ति पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है और यदि वह अपराह्न में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता/करती है तो अगले दिन से प्रारंभ होगी।

22. परिवीक्षा और पुष्टि-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्त किया गया है, विनियम 10 के उपविनियम (2) के अधीन यथा उपबंधित अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति भी, जिन्हें प्रोन्नति के माध्यम से नई सेवा में सम्मिलित किया गया है, दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएंगे किंतु उसी सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नत व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी, सिवाय उस दशा के जहां प्रोन्नति में उसी सेवा पदों के समूह में कोई परिवर्तन अंतर्निहित है जैसे कि समूह 'ख' से समूह 'क' में प्रोन्नति, उस दशा में परिवीक्षा दो वर्ष की अवधि की होगी:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी, जो भिन्न-भिन्न पदों पर निम्नलिखित आधार पर नियुक्त किए जाते हैं :--

- (क) संविदा के आधार पर;
- (ख) प्रतिनियुक्ति पर;
- (ग) कार्यकाल के आधार पर;
- (घ) स्थायी स्थानान्तरण पर; और
- (ङ) अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर।

(2) परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति संबंधी निर्धारण रिपोर्टें अभिप्राप्त करने की तथा -

(क) यदि कर्मचारी ने अपनी परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में पूरी की है तो, यथास्थिति, परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पुष्टि करने की अथवा समाधानप्रद रूप में सेवा पूरी किए जाने और किए जाने परिवीक्षा के समाप्त होने के बारे में आदेश जारी करने की; या

(ख) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि समाधानप्रद रूप में पूरी नहीं की है तो सुसंगत विनियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि, दो बार, जहां कहीं परिवीक्षा की अवधि के बढ़ाए जाने अथवा परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, सेवोन्मुक्त करने या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से प्रत्येक अवसर पर अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ाने की, तत्काल कार्रवाई की जाएगी:

परन्तु यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति कोई प्रोन्नत व्यक्ति है, तो उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय, उसे विशेषज्ञ चयन समिति की सिफारिशों पर उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, यथास्थिति, पुष्टि किए जाने या परिवीक्षा की अवधि बढ़ाए जाने के विनिश्चय की सूचना उसे साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर दी जाएगी।

(4) परिवीक्षा की अवधि के पूरा किए जाने के पश्चात् परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पुष्टि स्वतः नहीं होगी बल्कि औपचारिक आदेश निकाल कर दी जानी होगी, जब तक पुष्टि का या परिवीक्षा की अवधि समाधानप्रद रूप में पूरी करने के कोई विनिर्दिष्ट आदेश परिवीक्षाधीन व्यक्ति को जारी नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह परिवीक्षा पर बना हुआ है।

(5) वह तारीख, जिसको पुष्टि को प्रभावी किया जाना चाहिए, यथास्थिति, परिवीक्षा की विहित अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि को समाधानप्रद रूप में पूरा किए जाने की तारीख के बाद की तारीख होगी।

23. कार्यनिष्पादन निरूपण - खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन निरूपण के मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा।

24. अनुशासनिक कार्यवाहियां और शास्तियों का अधिरोपण- आचरण और अनुशासन के विषय में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 समय-समय पर यथा संशोधित, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, प्राधिकरण के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को लागू होंगे।

25. सेवा-मुक्ति और सेवा समाप्ति- किसी कर्मचारी की सेवाएं, कोई कारण बताए बिना, निम्नलिखित दशा में समाप्त की जा सकेंगी-

(i) ऐसे किसी कर्मचारी को, जिसकी किसी ग्रेड में स्थायी नहीं किया गया है, [दोनों में से किसी भी ओर से] लिखित में एक मास की सूचना देकर अथवा सूचना के बदले वेतन देकर;

(ii) किसी कर्मचारी की अस्थायी पद पर नियुक्ति उस विनिर्दिष्ट अवधि की, जिसके लिए पद मंजूर किया गया है अथवा उस अवधि की, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर सेवा में बना रहता है अथवा बनी रहती है तो वह तब भी अस्थायी कर्मचारी बना रहेगा अथवा बनी रहेगी और वह नियमित नियुक्ति पर विचार किए जाने का कोई धारणाधिकार अर्जित नहीं करेगा अथवा करेगी।

(2) खाद्य प्राधिकरण द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं अन्य आधारों में से निम्नलिखित आधार पर समाप्त की जा सकेंगी-

(क) दिवालिया होनेपर;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता की कोटि में आने वाले दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर;

(ग) अस्वस्थता के आधारों पर आगे सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर।

(3) 'पूर्णतः सेवा-मुक्त' करने की शक्ति का प्रयोग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4)(क) कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा से, तीन मास की सूचना दिए बिना, जिसमें त्यागपत्र के आधार विनिर्दिष्ट हों, त्यागपत्र नहीं देगा। इन आधारों पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा जो ऐसे त्यागपत्र को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, लोक हित में अपने विवेकानुसार स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा।

(ख) तथापि, उपविनियम (4) के खंड (क) के अधीन त्यागपत्र को स्वीकार और नोटिस की तामील किए जाने के बदले सेवा-मुक्त सतर्कता संबंधी अनापत्ति और नियंत्रक प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन रहते हुए किया जाएगा। नियंत्रक प्राधिकारी, कर्मचारी के अनुरोध पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नोटिस की अवधि का, प्रतिकर सहित या बिना, अधित्यजन कर सकेगा या अवधि को कम कर सकेगा अथवा कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार कर सकेगा ;

(ग) उपविनियम (1) के अधीन दिए गए नोटिस को तुरंत या नोटिस की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय स्वीकार किया जा सकेगा; उस दशा में कर्मचारी को उसे दिए गए नोटिस की संपूर्ण अवधि के संबंध में वेतन का संदाय किया जाएगा:

परन्तु किसी कर्मचारी का त्यागपत्र, यदि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है जैसे कि अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित या लाए जाने का विचार है, तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियंत्रक प्राधिकारी के मांगा हुआ पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

(घ) यदि किसी कर्मचारी के अनुरोध पर अल्प अवधि की सूचना को स्वीकार किया जाता है, तो वह अपना वेतन और भत्ते केवल उतने दिनों के लिए प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी जितने दिन उसने वस्तुतः कार्य किया है;

(ड) किसी कर्मचारी को, खाद्य प्राधिकरण के विवेकानुसार सूचना की अवधि अथवा सूचना की कम रह गई अवधि को, त्यागपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश में समायोजित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" शब्द के अन्तर्गत ऐसी सभी परिलब्धियां आएंगी जो उस दशा में अनुज्ञेय होतीं यदि कर्मचारी अर्जित अवकाश पर होता।

26. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति- (1) कर्मचारी अपनी सेवा से अधिवर्षिता पर साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर निवृत्त होगा। उसकी वस्तुतः सेवानिवृत्ति निम्नलिखित रूप में प्रभावी होगी-

(क) यदि कर्मचारी की जन्म तारीख उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है या कर लेती है, प्रथम दिन को पड़ती है तो सेवानिवृत्ति पूर्व मास की अन्तिम तारीख को प्रभावी होगी;

(ख) यदि उसकी जन्म तारीख उस मास के दूसरी या किसी पश्चात्वर्ती तारीख को पड़ती है तो उसकी सेवानिवृत्ति उस मास के, जिसमें अधिवर्षिता की आयु पूरी करता है या करती है, अन्तिम दिन को प्रभावी होगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी पचास वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, इस खंड के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ईप्सा करता है, तो वह ऐसी सेवांत प्रसुविधाओं का हकदार होगा/होगी जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस बारे में बनाए गए किसी विनियम के अधीन अनुज्ञेय हों।

(3) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खाद्य प्राधिकरण, खाद्य प्राधिकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बारे में सरकार के निदेशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक स्कीम ला सकेगा।

(4) ऐसे किसी कर्मचारी को, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिसे-

(i) अदक्ष; या

(ii) शंकास्पद सत्यनिष्ठा वाला; या

(iii) चिकित्सक दृष्टया अयोग्य,

माना जाता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, अदक्षता, शंकास्पद सत्यनिष्ठा या चिकित्सक दृष्टया अयोग्य होने का अवधारण करने के मापदंड के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अदक्षता:- अदक्षता का मूल्यांकन कार्यनिष्पादन निरूपण रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे किसी कर्मचारी के बारे में, जिसे पूर्ववर्ती तीन वर्ष की निरूपण रिपोर्ट में लगातार खराब रेटिंग मिली है, यह समझा जाएगा कि वह समयपूर्व सेवानिवृत्ति का उपयुक्त मामला है।

(ख) शंकास्पद सत्यनिष्ठा- ऐसे कर्मचारी को, जिसे उसकी निरूपण रिपोर्टों में लगातार तीन वर्ष उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी मिली है, समयपूर्व सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की जाएगी;

(ग) चिकित्सक दृष्टया अयोग्य होना- यदि कोई कर्मचारी-

(i) अस्वस्थता के आधारों पर या रूग्णता पर लंबी अवधि तक लगातार छुट्टी पर रहा है; या

(ii) यद्यपि वह ड्यूटी पर उपस्थित हो रहा है, तथापि यदि उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जाता है; या

(iii) संक्रामक या स्पर्शजन्य या असाध्य रोग से पीड़ित है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मचारी को पूरी स्वास्थ्य जांच कराने के लिए चिकित्सा बोर्ड को और उसे अपनी इन सिफारिशों के साथ कि कर्मचारी खाद्य प्राधिकरण में बने रहने के लिए समर्थ है अथवा नहीं, कर्मचारी की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा;

(घ) यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी खाद्य प्राधिकरण की सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति किए जाने के मामले पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ङ) स्वास्थ्य के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति संविदागत नियोजन के अधीन कर्मचारी की सेवाओं को, उसे विहित सूचना की तामील किए जाने के पश्चात् अभिमेचित करने के खाद्य प्राधिकरण के अधिकार से स्वतंत्र और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होती है।

27. खाद्य प्राधिकरण के कर्मचारियों के धारणाधिकार को बनाए रखा जाना—

(1) खाद्य प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार, किसी कर्मचारी को उसकी किसी अन्य स्वशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी विभाग में सीधी भर्ती के आधार पर हुई नियुक्ति के परिणामस्वरूप अधिकतम दो वर्ष की अवधि का धारणाधिकार अनुज्ञात कर सकेगा और इसे आपवादिक परिस्थितियों में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(2) ऐसे नियमित कर्मचारियों को, जिनका संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय निकायों में चयन के आधार पर या नामनिर्देशन के आधार पर विदेशी नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है, तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक उनके नियमित पदों पर धारणाधिकार रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परन्तु यह तब जबकि कर्मचारी इस बात का वचनबंध दे कि वह विदेशी कार्यभार के रूप में विदेश में अपनी सेवा अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भारत वापस आ जाएगा/जाएगी :

परन्तु धारणाधिकार की अवधि के दौरान खाद्य प्राधिकरण छुट्टी-वेतन, भविष्य निधि, उपदान, पेंशन अभिदाय और अन्य प्रतिसंदाय के लिए कोई दायित्व ग्रहण नहीं करेगा और कर्मचारी को स्वयं ऐसे संदायों की व्यवस्था करनी होगी।

28. अप्राधिकृत अनुपस्थिति का निरूपण—

(1) ऐसा कर्मचारी, जो बिना किसी प्राधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार की अप्राधिकृत अनुपस्थिति से, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन और भत्तों की हानि होने के अलावा सेवा का भंग भी गठित होगा जिससे पूर्व सेवा का, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग को माफ न कर दिया जाए, समपहरण हो जाएगा और उसे 'अकार्य दिवस' के रूप में माना जाएगा।

(2) ड्यूटी से ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के, जिसे किसी भी रीति में माफ नहीं किया गया है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

- (क) अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के दौरान कोई वेतन और भत्ते अनुज्ञेय नहीं होंगे;
- (ख) ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी वेतनवृद्धि या अर्जित अवकाश को जोड़ा नहीं जाएगा;
- (ग) ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति द्वारा कारित सेवा व्यवधान की अवधि के लिए कोई उपदान और अंशदायी भविष्य निधि के अधीन कोई फायदे नहीं दिए जाएंगे; और
- (घ) इस अवधि को 'अकार्य अवधि' माना जा सकता है।

29. सरकारी दौरे— कर्मचारी सरकारी ड्यूटी के लिए भारत के भीतर या विदेश में किसी स्थान पर दौरे पर, जब भी खाद्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, जाने का दायी होगा जिसके लिए उसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस बारे में उस विषय पर बनाए गए विनियमों के अधीन यथा उपबंधित यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता संदत्त किया जा सकेगा।

30. सुरक्षा- प्रत्येक कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में, खाद्य प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्यकर होगा और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के भंग को अवचार समझा जाएगा और ऐसा प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए दायी होगा।

31. कार्य-घंटे और हाजिरी- (1) प्रत्येक कर्मचारी भिन्न-भिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों या किसी कर्मचारी के लिए हाजिरी, आगमन और प्रस्थान, कार्यावधि और कार्य के घंटों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा और प्रत्येक कर्मचारी खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत और विनिर्दिष्ट समय पर काम पर होगा।

(2) हाजिरी ऐसी पद्धति और प्रक्रिया के अनुसार, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिदिन अंकित की जाएगी।

32. अवकाश दिन- अवकाश दिनों की सूची खाद्य प्राधिकरण द्वारा वर्ष के आरंभ में या तत्पश्चात् किसी समय, यदि आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

33. पहचान-पत्र- प्रत्येक कर्मचारी को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। यदि खाद्य प्राधिकारी के ऐसे प्रतिनिधि या शासकीय पदधारी द्वारा जो ऐसे पहचान पत्र की जांच करने या खाद्य प्राधिकरण के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए प्राधिकृत है, पहचान पत्र दिखाने की अपेक्षा की जाए तो वह कर्मचारी उसे दिखाएगा तथा खाद्य प्राधिकरण की किसी भी कारणवश सेवा छोड़ने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपना पहचान पत्र वापस करेगा।

34. खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य अनुदेशों का अनुपालन- प्रत्येक कर्मचारी ऐसे अन्य अनुदेशों का, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं, अनुपालन करेगा।

35. खाद्य प्राधिकरण की संपत्ति- किसी कर्मचारी द्वारा तैयार की गई कोई सामग्री, जैसे दस्तावेज या सूचना रिपोर्टें अथवा जो कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के दौरान आंतरिक या बाह्य स्रोतों से प्राप्त या अभिप्राप्त की जाएं, खाद्य प्राधिकरण की संपत्ति होंगी।

36. सेवा प्रमाण पत्र- किसी कर्मचारी द्वारा, उसकी सेवा के उन्मोचन, उसकी पदच्युति, सेवा समाप्ति, पद त्याग या सेवा निवृत्ति के समय, अनुरोध किए जाने पर सेवा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

37. शिथिलीकरण की शक्ति- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उजागर होता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को समीक्षा के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकर होगा।

संलग्नक - 1

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की अवसंरचना और पद

किसी सेवा/काडर के बाहर वरिष्ठ स्तर के पद					
क्रम सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या [प्रति धारित (स्थायी)+ नए (अस्थायी)]	वेतनमान	
				पुनरीक्षित वेतन बैंड (रुपए)	ग्रेड वेतन (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	समूह क	1	6700- (ए1@3%)79000/-	
2.	मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार	समूह क	1	6700- (ए1@3%)79000/-	
3.	मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी	समूह क	1	37400- 67000 [वे.बैं.-4]	10000

4.	मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी	समूह क	1	37400-67000 [वे.वै.-4]	10000
5.	मुख्य प्रवर्तन अधिकारी	समूह क	1	37400-67000 [वे.वै.-4]	10000
6.	वित्तीय सलाहकार	समूह क	1	37400-67000 वे.वै.-4]	8700
7.	निदेशक(निगरानी/प्रवर्तन/कोडेक्स)	समूह क	3	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700
8.	निदेशक (जोन)	समूह क	3	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण वैज्ञानिक सेवाएं					
1.	वैज्ञानिक समूह 5	समूह क	2	37400-67000 [वे.वै.-4]	8900
2.	वैज्ञानिक समूह 4	समूह क	4	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700
3.	वैज्ञानिक समूह 3	समूह क	6	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600
4.	वैज्ञानिक समूह 2	समूह क	6	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
5.	वैज्ञानिक समूह 1	समूह क	12	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवाएं					
प्रशासनिक काडर					
1.	निदेशक (प्रबंध)	समूह क	1	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700
2.	संयुक्त निदेशक (प्रबंधन)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600
3.	संयुक्त निदेशक (सर्तकता)	समूह क	1	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600
4.	उप निदेशक (प्रबंधन)	समूह क	4	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
5.	सहायक निदेशक (प्रबंधन)	समूह क	6	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
6.	सहायक निदेशक (सर्तकता)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
7.	सहायक	समूह ख	5	9300-34800 [वे.वै.-2]	4200
8.	सहायक(प्रयोगशालाएं)	समूह ख	4(कोलकाता+ रक्सोल3,मुम्बई- 1)	9300-34800 [वे.वै.-2]	4200
9.	चपरासी(बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	समूह ग	13	5200-20200 [वे.वै.-1]	1800
वित्त और लेखा काडर					
1.	संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)	समूह क	1	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600

2.	उप निदेशक (प्रशासन और वित्त)- (प्रयोगशालाएं)	समूह क	2(कोलकाता-1, मुम्बई-1)	15600- 39100 [वे.वै.-3]	6600
3.	वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी	समूह ख	1	9300- 34800 [वे.वै.-2]	5400
4.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	समूह ख	2(कोलकाता-1, मुम्बई-1)	9300- 34800 [वे.वै.-2]	5400
5.	वित्त और लेखा अधिकारी	समूह ख	3	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4800
6.	प्रशासनिक और लेखा अधिकारी (जोन)	समूह ख	4	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4800
7.	लेखा सहायक (प्रयोगशालाएं)	समूह ख	2(कोलकाता-1, मुम्बई-1)	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4200
आशुलिपिक काडर					
1.	वरिष्ठ निजी सचिव	समूह ख	3	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4800
2.	निजी सचिव (पी.एस.)	समूह ख	12	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4200
3.	वैयक्तिक सहायक	समूह ख	15	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4200
4.	निजी सचिव (जोन)	समूह ख	3	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4200
5.	निजी सचिव(प्रयोगशालाएं)	समूह ख	2	9300- 34800 [वे.वै.-2]	4200

अन्य पद					
1.	सहायक निदेशक (हिंदी)	समूह क	1	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
2.	विधि अधिकारी	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	समूह ख	1	9300-34800 [वे.वै.-2]	4200
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवाएं					
1.	निदेशक(तकनीकी/पी.ए.क्यू.ए.)	समूह क	1	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700
2.	संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन)	समूह क	1	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600
3.	संयुक्त निदेशक (जोन)	समूह क	4	15600-39100 [वे.वै.-3]	7600
4.	उप निदेशक (पी.ए.क्यू.ए.)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
5.	उप निदेशक (निगरानी)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
6.	उप निदेशक (प्रवर्तन)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
7.	उप निदेशक (कोडेक्स)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600
8.	उप निदेशक (जोन)	समूह क	14	15600-39100 [वे.वै.-3]	6600

9.	सहायक निदेशक (पी.ए.क्यू.ए.)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
10.	सहायक निदेशक (निगरानी)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
11.	सहायक निदेशक (प्रर्वतन)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
12.	सहायक निदेशक (कोडेक्स)	समूह क	2	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
13.	सहायक निदेशक (जोन)	समूह क	9	15600-39100 [वे.वै.-3]	5400
14.	तकनीकी अधिकारी (मुख्यालय)	समूह ख	5	9300-34800 [वे.वै.-2]	4200
15.	तकनीकी अधिकारी (जोन)	समूह ख	15	9300-34800 [वे.वै.-2]	4200
16.	चपरासी(जोन)-बहुकार्य कर्मचारीवृन्द	समूह ग	9	5200-20200 [वे.वै.-1]	1800
17.	परियोजना एसोसिएट्स	आर्थिक कार्य विभाग की आंतरिक स्कीम के पैटर्न पर बनाई जाने वाली स्कीम के अनुसार संविदा के आधार पर लिए जाएंगे।			

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवाएं

क्रम सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	सी.एफ.एल. कोलकाता और रक्सौल	सी.एफ.एल. मुंबई	योग		
प्रयोगशाला काडर (तकनीकी)							
1.	निदेशक	समूह क	1	1	2	37400-67000 [वे.वै.-4]	8700

2.	संयुक्त निदेशक	समूह क	1	1	2	15600-39100 [वे.बैं. -3]	7600
3.	सूक्ष्मजीव विज्ञानी	समूह क	1	3	6	15600-39100 [वे.बैं. -3]	6600
4.	मुख्य तकनीकी अधिकारी	समूह क	2			15600-39100 [वे.बैं. -3]	6600
5.	वरिष्ठ विश्लेषक	समूह क	5	5	10	15600-39100 [वे.बैं. -3]	5400
6.	तकनीकी अधिकारी/प्राध्यापक/ कनिष्ठ विश्लेषक/कनिष्ठ विश्लेषक (सूक्ष्मजीव विज्ञानी)	समूह ख	16	10	26	9300-34800 [वे.बैं. -2]	4200
7.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	समूह ग	6	4	10	5200-20200 [वे.बैं. -1]	2800
8.	प्रयोगशाला सहायक	समूह ग	12	6	18	5200-20200 [वे.बैं. -1]	2000
9.	प्रयोगशाला परिचर (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द)	समूह ग	13		13	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1800
अनुसचिवीय पद (प्रयोगशाला)							
1.	भंडारी/अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	2		2	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1900
2.	हिंदी टंकक/अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	1		1	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1900
3.	भंडार लिपिक	समूह ग	1		1	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1900
4.	ड्राईवर	समूह ग				5200-20200 [वे.बैं. -1]	1900
5.	चपरासी(बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	समूह ग	3		3	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1800
6.	दरवान(बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	समूह ग	1		1	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1800
7.	चौकीदार(बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	समूह ग	2		2	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1800
8.	सफाईकर्मी (स्वीपर)	समूह ग	2		2	5200-20200 [वे.बैं. -1]	1800

टिप्पणी: (i) ऊपर सारणी के स्तम्भ (4) के सामने उपदर्शित पदों के अन्तर्गत स्थानांतरित, प्रतिधारित, स्थायी पद तथा नए सिरे से सृजित अस्थायी पद भी हैं।

(ii) एफ.आर.एस.एल., गाजियाबाद को महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवा को अंतरित कर दिया गया है और इस प्रयोगशाला के अधीन आने वाले पदों को सारणी से अपवर्जित कर दिया गया है।

प्ररूप-1

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र

[विनियम 7 का उपविनियम (5) देखिए]

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/सुश्री/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री....., को पिछले वर्ष मास से जानता हूं और मेरी सर्वोत्तम
जानकारी और विश्वास के अनुसार वह एक अच्छे नैतिक चरित्र वाला/वाली है तथा उसका ऐसा कोई पूर्ववृत्त नहीं है जो उसे
सरकारी नियोजन के अनुपयुक्त बनाता हो। श्री/सुश्री/कुमारी..... मेरा/मेरी नातेदार नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम बड़े अक्षरों में

तारीख:

स्थान: पदनाम और मुद्रा

कार्यालय टेलीफोन संख्या

अनुदेश

1. यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।
2. हस्ताक्षर करने वाले का पदनाम भी बड़े अक्षरों में दिया जाए।
3. संप्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जानने की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।
4. प्रमाण पत्र हाल ही की तारीख का होना चाहिए।

प्ररूप-2

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में पद ग्रहण के समय घोषणा

[विनियम 7 का उपविनियम (6) (ख) देखिए]

मैं, श्री/सुश्री/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....

यह घोषणा करता/करती हूं कि-

- (क) मैं पहले से ही विवाहित हूं और मेरी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है और मैं इस बात के होते हुए भी कि मुझे तत्समय लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा और विवाह करना अनुज्ञेय है, मैं भारतीय खाद्य प्राधिकरण की अनुज्ञा और भारत सरकार से विशेष अभिमुक्ति पहले अभिप्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करूंगा;
- (ख) मैं पहले से विवाहित हूं और मेरा विवाह मेरे पति की ऐसे विवाह के समय जीवित पत्नी होने के कारण शून्य नहीं है अथवा मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं किया है जिसकी ऐसे विवाह के समय पत्नी जीवित है;
- (ग) मैं अविवाहित/अविवाहिता हूं और घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा बाद में विवाह करने की दशा में, मैं उपरोक्त खंड (क) और खंड (ख) द्वारा शासित हूंगा/हूंगी।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

तारीख:

स्थान:

टिप्पणी- जो खंड लागू नहीं होता/होते, कृपया उसे/उन्हें काट दें।

प्रपत्र-3

अनुप्रमाणन प्रपत्र

[विनियम 7 का उपविनियम (9)(क)देखिए]

चेतावनी

1. अनुप्रमाणन प्रपत्र में मिथ्या जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना निहर्ता की कोटि में आएगा और अभ्यर्थी को खान्द प्राधिकरण के अधीन नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस अनुप्रमाणन पत्र के बाद उसे निरूद्ध, गिरफ्तार, अभियोजित, आबद्धकर किया जाता है, उस पर जुर्माना किया जाता है, उसे सिद्धदोष ठहराया जाता है, विवर्जित किया जाता है, दोषमुक्त किया जाता है तो उसके ब्यौरे तत्काल उन प्राधिकारियों को संसूचित किए जाने चाहिए जिन्हें पूर्व में अनुप्रमाणन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया गया है।
3. यदि ऐसा तथ्य कि अनुप्रमाणन प्रपत्र में मिथ्या जानकारी दी गई है या यह कि किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाया गया है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी समय जानकारी में आता है तो उसकी सेवा को समाप्त किया जा सकेगा।

- | 1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | कुलनाम | नाम |
|---|--------|-----|
| उपनामों सहित, यदि कोई हो
(यदि आपने अपने नाम या कुलनाम के किसी भाग में किसी प्रक्रम पर कुछ जोड़ा है या उससे कुछ हटाया है तो कृपया उसे उपदर्शित करें। | | |
| 2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान सं. गली/पथ/मार्ग और नगर | | |
| 3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान सं. गली/पथ/मार्ग और नगर तथा जिला मुख्यालय का नाम
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश का पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख | | |
| 4. उन स्थानों की (निवास की अवधियों के साथ) विशिष्टियां, जहां आपने पिछले पांच वर्ष किसी समय एक से अधिक वर्ष तक निवास किया है। विदेश में (जिसमें पाकिस्तान भी है) ठहरने की दशा में, उन सभी स्थानों की विशिष्टियां, जहां आपने, 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्, एक से अधिक वर्ष तक निवास किया है, दी जानी चाहिए | | |

से	तक	घर का पूरा पता अर्थात् (ग्राम, थाना और या मकान सं./गली/पथ/मार्ग और नगर	पूर्ववर्ती स्तंभ में वर्णित स्थानों के जिला मुख्यालय का नाम

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म से और/या अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	वर्तमान/ स्थायी उपजीविका (यदि नियोजित है तो पदनाम और पदीय पते का उल्लेख करें)	वर्तमान डाक पता (यदि मृत्यु हो गई है तो अंतिम पता दें)	स्थायी घर का पता
I. पिता का पूरा नाम और उपनाम, यदि कोई हों					
II. माता					
III. पत्नी/पति					
IV. भाई					
V. बहन (बहनें)					

5 (क). पुत्र (पुत्रों) और/या पुत्री (पुत्रियों) के बारे में, यदि वह/वे विदेश में पढ़ रहा/रही है अथवा रह रहा/रही है, दी जाने वाली जानकारी

नाम	राष्ट्रीयता, जन्म से और/या अधिवास द्वारा	जन्म की तारीख	वह देश, जिसमें पढ़ रहा/रही है/रह रहा/रही है, पूरे पते सहित	वह तारीख, जिसमें पूर्ववर्ती स्तंभ में वर्णित देश में पढ़ रहा/रही है/रह रहा/रही है

6. राष्ट्रीयता :

7. (क) जन्म की तारीख :

(ख) वर्तमान आयु :

(ग) मैट्रिकुलेशन पर आयु :

8. (क) जन्म स्थान

जिला और राज्य, जिसमें वह स्थित है :

(ख) वह जिला और राज्य जिसके आप हो :

(ग) वह जिला और राज्य जिसके
कि आप के पिता मूलतः हैं :

9. (क) आपका धर्म :

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य
पिछड़ा वर्ग के हैं/शारीरिक रूप
से निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं? :

(ग) यदि हां, तो जाति/श्रेणी/ब्यौरों का उल्लेख करें :

10. शैक्षिक अर्हताएं, पन्द्रह वर्ष की आयु से शिक्षा के स्थान तथा विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा अवधि।

उत्तीर्ण की गई परीक्षा	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश लेने की तारीख	छोड़ने की तारीख	प्राप्त अंको की प्रतिशतता

11.(क) क्या आप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अर्ध सरकारी या सरकारी-सदृश्य निकाय या किसी स्वशासी निकाय या लोक उपक्रम या प्राइवेट फर्म या संस्था में नियोजन धारण किए हुए है या किसी समय धारण किया है? यदि हां तो पूरी अद्यतन विशिष्टियां, तारीखों या नियोजन सहित, दें:

अवधि	पदनाम, उपलब्धियां और नियोजन की प्रकृति	नियोजक का पूरा नाम और पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

(ख) यदि पूर्व नियोजन भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम के किसी/स्वशासी निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के अधीन था यदि आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) निकाय, 1965 के नियम 5 या ऐसे ही किन्हीं तत्समान नियमों के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां विरचित की गई थीं या क्या आपसे आपके द्वारा सेवासमाप्ति की सूचना देने के समय या किसी पश्चातवर्ती तारीख पर, आपकी सेवाएं वस्तुतः समाप्त किए जाने के पूर्व, किसी मामले में आचरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था?

12. I (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हां/नहीं

(ख) क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है? हां/नहीं

- (ग) क्या आपको कभी निरोध में रखा गया है? हां/नहीं
- (घ) क्या आपको कभी प्रतिबंधित किया गया है? हां/नहीं
- (ङ) क्या आप पर किसी न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है? हां/नहीं
- (च) क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है? हां/नहीं
- (छ) क्या आपको या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी परीक्षा से विवर्जित किया गया है या निष्कासित किया गया है? हां/नहीं
- (ज) क्या आपको किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित/ निरहित किया गया है? हां/नहीं
- (झ) क्या इस अनुप्रमाणन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में मामला लंबित है? हां/नहीं
- (ञ) क्या इस अनुप्रमाणन प्रपत्र के भरने के समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षाप्राधिकरण/संस्था में कोई मामला लंबित है? हां/नहीं
- (ट) क्या आपको सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्था से या अन्यथा उन्मोचित/ निष्कासित/प्रत्याहृत किया गया है? हां/नहीं

II यदि उपवर्णित किसी प्रश्न का उत्तर 'हां' में है तो, इस अनुप्रमाणन प्रपत्र के भरे जाने के समय, न्यायालय/ विश्वविद्यालय/शिक्षा संस्था आदि में लंबित मामले/गिरफ्तारी/निरोध/मामले की प्रकृति की पूरी विशिष्टियां दें।

टिप्पणी: (1) कृपया इस अनुप्रमाणन प्रपत्र में सबसे ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें।

(2) प्रत्येक प्रश्न का, यथास्थिति, 'हां' या 'नहीं' को काटकर विनिर्दिष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए।

13.

आपके परिक्षेत्र के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते अथवा दो निर्दिष्ट व्यक्ति जो आपको जानते हों और आपके नातेदार न हों	
--	--

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं जो सरकार/प्राधिकरण के अधीन नियोजन के लिए मेरी उपयुक्तता का ह्रास कर सकती हैं।

तारीख:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

- (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
- (ii) संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का हो जहां अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/संरक्षक सामान्य तौर से निवासी है;
- (iii) उपखंड मजिस्ट्रेट/अधिकारी;
- (iv) तहसीलदार/या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है;
- (v) मान्यताप्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक;
- (vi) ब्लॉक विकास अधिकारी;
- (vii) डाकपाल;
- (viii) पंचायत निरीक्षक,

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/सुश्री/कुमारी.....सुपुत्र/पुत्री, श्री..... को पिछलेवर्ष..... मास से जानता हूं और यह कि उसके द्वारा दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

पदनाम या प्रस्थिति और पता

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

- (i) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता
- (ii) वह पद, जिसके लिए अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है।

संलग्नक -2

काडर के बाहर/एक से अधिक सेवा के लिए समान वरिष्ठ स्तर के पद						
पदनाम	भर्ती का पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	प्रोन्नति के लिए पात्रता के मापदंड	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता के मापदंड	चयन समिति	सीधी भर्ती के लिए आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।					

2. मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है [चयन, खोज-सह-चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा]	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
----------------------------	---	-----------------	-----------------

नियुक्ति, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर, उन पात्र अधिकारियों में से, जो निम्नलिखित मापदंड पूरा करते हैं, की जाएगी :	खोज-सह-चयन समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

(i) ऐसे विख्यात वैज्ञानिक, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ त्रिष विज्ञान/ नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य संबद्ध शाखा में डाक्टरेट की डिग्री है तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान करने का बीस वर्ष का अनुभव है और पूर्वोक्त 20 वर्षों में से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए।		
--	--	--

3. मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है [चयन, खोज-सह-चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा]	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
-------------------------------	---	-----------------	-----------------

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों/सरकार के नियंत्रणाधीन/ द्वारा वित्त पोषित मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं अधिमानतः जिन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में पैनल में रखा जा रहा हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और 8700/- रु. के ग्रेड वेतन में या उसके समतुल्य पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और</p> <p>(iii) जिनके पास प्रशासन, वित्त और सर्तकता मामलों में दस वर्ष का अनुभव है।</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले समुचित स्तर के दो विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं होता।
---	---	-----------------

4. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है [चयन, खोज-सह-चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा]	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
---------------------------	---	-----------------	-----------------

<p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों/सरकार के नियंत्रणाधीन/ द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं अधिमानतः जिन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में पैनल में रखा जा रहा हो; या</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले समुचित स्तर के दो विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और 8700/- रु. के ग्रेड वेतन में या उसके समतुल्य पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और		
(iii) जिनके पास खाद्य विधियों के प्रशासन और कार्यान्वयन या प्रवर्तन का 10 वर्ष का अनुभव है।		

5. मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है [चयन, खोज-सह-चयन समिति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा]	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
-------------------------------	---	-----------------	-----------------

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों/सरकार के नियंत्रणाधीन/ द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी-	खोज-सह-चयन समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या	(i) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष	
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और 8700/- रु. के ग्रेड वेतन में या उसके समतुल्य पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और	(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य	
(iii) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म विज्ञान/डिरी प्रौद्योगिकी/कृषिविज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर या समतुल्य डिग्री है और खाद्य विज्ञान/मानकों/संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का अठारह वर्ष का अनुभव है जिसमें से कम से कम नौ वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; या पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा इस पैरा में उपरवर्णित क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य करने का पंद्रह वर्ष का अनुभव हो और पन्द्रह वर्षों में से कम से कम आठ वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षी हैसियत से होना चाहिए; और	(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले समुचित स्तर के दो विशेषज्ञ-सदस्य	
(iv) संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर की अनुसंधान कृति प्रकाशित की हो।		

6. वित्त सलाहकार	प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
------------------	--	-----------------	-----------------

प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण;	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
(i) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/भारतीय रेल लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा या अन्य केन्द्रीय लेखा समूह 'क' सेवा के ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार में निदेशक स्तर का पद धारण करने के पात्र हो; या	(i) मुख्य कार्यपालक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष	
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के वित्तीय पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी;	(ii) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य	
(क) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या	(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने	

(ख) जिन्होंने वेतन बैंड-3 के ठीक निचले ग्रेड में 7600/- रु. के ग्रेड वेतन में या उसके समतुल्य पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।	वाला समुचित स्तर का एक विशेषज्ञ- सदस्य	
---	--	--

7. निदेशक (निगरानी)/ (प्रवर्तन)/ (कोडेक्स)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
--	--	-----------------	-----------------

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी- (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 7600/- रु. के ग्रेड वेतन में या उसके समतुल्य पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और (iii) जिनकी खाद्य विधियों के प्रशासन और कार्यान्वयन अथवा प्रवर्तन की पृष्ठभूमि और/या उसमें सात वर्ष का अनुभव है।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) मुख्य कार्यपालक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य (iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं होता।
--	--	-----------------

8. निदेशक (जोन)	33.33% : 66.67% के अनुपात में प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं के अधीन वेतन बैंड-3 तथा 7600 रु. के ग्रेड वेतन में के ऐसे संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
-----------------	--	-----------------	---

प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी- (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 7600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और (iii) जिनके खाद्य विधियों के प्रशासन और कार्यान्वयन अथवा प्रवर्तन की पृष्ठभूमि और/या उसमें सात वर्ष का अनुभव हो।	चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) मुख्य कार्यपालक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य (iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं होता।
---	---	-----------------

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण वैज्ञानिक सेवा			
9. वैज्ञानिक समूह-5	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>आवश्यक अर्हताएं:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/ कृषिविज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर या समतुल्य डिग्री और खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव ग्रुपलीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत से होना चाहिए; और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों को, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्बलित है, का संचालन किया गया होना चाहिए; या</p> <p>(ii) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्बलित है, संचालन किया गया होना चाहिए; और</p> <p>(iii) संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान कृति प्रकाशित की होनी चाहिए।</p>	ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और 8700/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों से ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) तथा 8700/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 7600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	<p>50 वर्ष से अधिक नहीं।</p>
---	---	------------------------------

<p>10. वैज्ञानिक समूह-4</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम का पांच वर्ष का अनुभव गुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत से होना चाहिए; और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों को, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्बलित है, का संचालन किया गया होना चाहिए; या</p> <p>(ii) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का बारह वर्ष का</p>	<p>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और 7600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो</p>
-----------------------------	--	--	--

		<p>अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्बलित हो, संचालन किया गया होना चाहिए; और</p> <p>(iii) संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान कृति प्रकाशित की गई होनी चाहिए।</p>	
--	--	---	--

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (3) में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षिकअर्हताएं और अनुभव है; और जिनके पास-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 7600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 6600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	50 वर्ष से अधिक नहीं।
---	---	-----------------------

11. वैज्ञानिक समूह-3	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का आठ वर्ष का अनुभव है, जिसमें से कम से कम का चार वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत से होना</p>	<p>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और 6600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>
----------------------	--	---	---

		<p>चाहिए; और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों को, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्वर्तित है, का संचालन किया गया होना चाहिए।</p> <p>(ii) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का छह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्वर्तित हो, संचालन किया गया होना चाहिए।</p>	
--	--	---	--

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी जिनके पास स्तंभ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 6600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 5400/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	40 वर्ष से अधिक नहीं।
---	--	-----------------------

12. वैज्ञानिक समूह-2	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा)।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री</p>	<p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और 5400/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>
----------------------	---	--	--

		<p>या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत से होना चाहिए; और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों को, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्वर्लित है, का संचालन किया गया होना चाहिए; या</p> <p>(ii) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने में छह वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर के रूप में या किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों का, जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्वर्लित हो, संचालन किया गया होना चाहिए।</p>	
--	--	---	--

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/ स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, जिनके पास स्तंभ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 5400/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	35 वर्ष से अधिक नहीं।
---	--	-----------------------

13. वैज्ञानिक समूह-1	सीधी भर्ती द्वारा।	आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/	लागू नहीं होता।
----------------------	--------------------	--	-----------------

		<p>खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/ कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/विष विज्ञान/ नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानकों/संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/ वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा खाद्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों का जिनमें योजना, विकास और समन्वय अंतर्बलित है, संचालन किया गया होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय अर्हताएं:-</p> <p>टिप्पणी:- प्रत्येक शाखा के पदों की संख्या का निर्णय नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की संख्या संबंधित शाखा में से भरी जाएंगी।</p>	
--	--	--	--

लागू नहीं होता।	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <p>(i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	30 वर्ष
-----------------	---	---------

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा			
14.निदेशक (तकनीकी) पी.ए.क्यू.ए.	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा काडर में ऐसे संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 7600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है-</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव रसायन विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ त्रिष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानको संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में बारह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम छह वर्ष का अनुभव प्रबंधकीय हैसियत में होना चाहिए; या</p> <p>(ख) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्यविज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्रबंधकीय हैसियत में होना चाहिए।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>
--	---	-----------------------

<p>15.संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन)/ (जोन)</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>प्रोन्नति: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा में ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होंने वेतन बैंड-3 तथा ग्रेड वेतन 6600 रु. में उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है</p>
--	--	------------------------	---

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) तथा 6600/- रु. के ग्रेड वेतन या उसके समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और</p> <p>(iii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है-</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु-चिकित्सा विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषाहार/</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जानेवाला मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>
--	--	-----------------------

<p>विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में या किसी अन्य सम्बद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानक संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में बारह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव प्रबंधकीय हैसियत में होना चाहिए; या</p> <p>(ख) पूर्वोक्त विषयों में से किसी में डाक्टरेट की डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानकों/ संरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान और विकास कार्य करने का छह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रबंधकीय हैसियत में होना चाहिए ।</p>		
--	--	--

<p>16. उप-निदेशक (प्रवर्तन/ (निगरानी)/ (पी.ए.क्यू.ए.)/ (कोडेक्स)/ (ज़ोन)</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>	<p>प्रोन्नति: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा के काडर में ऐसे सहायक निदेशकों में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-3 और ग्रेड वेतन 5400 रु. में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।</p>
--	--	-------------------------	--

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव है:-</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/ जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/ पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानक/संरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्था/वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य करने का छह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; या</p> <p>(ख) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डाक्टरेट डिग्री तथा खाद्य विज्ञान/मानक/संरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्था/वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>
--	--	-----------------------

और विकास कार्य करने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए।			
17. सहायक निदेशक(प्रवर्तन)/(निगरानी)/(पी.ए.क्यू.ए.)/(कोडेक्स)/(ज़ोन)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके जिसमें अल्प कालिक भी सविन्दा भी है न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	<p>आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य विज्ञान/मानक/संरक्षा के क्षेत्र में किसी प्रयोगशाला/अनुसंधान संस्था/वैज्ञानिक संगठन में अनुसंधान और विकास कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय अर्हता : उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डाक्टरेट डिग्री ।</p>	<p>प्रोन्नति, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तकनीकी सेवा के ऐसे तकनीकी अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् 9300-34800 रु. के वेतनमान (वेतन बैंड-2) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की है ।</p>
<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से जिनके पास स्तम्भ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/ स्थायीकरण /सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण -सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	30 वर्ष	
18. तकनीकी अधिकारी (मुख्यालय)/(ज़ोन)	सीधी भर्ती द्वारा	<p>आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ विष विज्ञान या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p>	लागू नहीं होता ।

लागू नहीं होता।	स्थायीकरण या सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (पी.ए.क्यू.ए.)/ निदेशक (प्रवर्तन)/निदेशक (निगरानी)/ निदेशक (संबंधित क्षेत्र) - अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रबंध) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक (पी.ए.क्यू.ए.)/ संयुक्त निदेशक(प्रवर्तन)/ संयुक्त निदेशक (निगरानी)/ संबंधित संयुक्त निदेशक(ज़ोन)-सदस्य	30 वर्ष
-----------------	---	---------

19. चपरासी (ज़ोन) {बहुकार्य कर्मचारीवृन्द}	सीधी भर्ती द्वारा या संविदा द्वारा	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ii) हिन्दी (बोलने और लिखने) का ज्ञान और अंग्रेजी की जानकारी।	लागू नहीं होता।
--	------------------------------------	---	-----------------

लागू नहीं होता।	स्थायीकरण या सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (संबंधित ज़ोन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक (साधारण प्रशासन) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) सहायक निदेशक (स्थापना का प्रभारी) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष
-----------------	---	---------

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पदनाम	भर्ती की पद्धति	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता और अनुभव	प्रोन्नति के लिए पात्रता के मापदंड	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता के मापदंड	चयन समिति	सीधी भर्ती के लिए आयु

प्रयोगशाला काडर (तकनीकी)

20. निदेशक	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	आवश्यक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	प्रोन्नति: प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा के अधीन प्रयोगशाला काडर में ऐसे संयुक्त निदेशकों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड
------------	---	--	--

	<p>द्वारा।</p>	<p>प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/ पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/पोषाहार/ विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्यप्रसंस्करण/खाद्य विश्लेषण/खाद्य मानक/ संरक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संगठन में खाद्य के विश्लेषण का होना चाहिए और खाद्य मानकों और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए और 10 वर्ष के अनुभव में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए; या</p> <p>(ii) खाद्य सम्मिश्रण के संबंध में अनुसंधान करने/मार्गदर्शन देने का कम से कम छह वर्ष का अनुभव (साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा)।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) विष-विज्ञान/जीवाणु-विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान; और</p> <p>(ii) उपर्युक्त संबद्ध विषय में डाक्टरेट डिग्री।</p>	<p>में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>
--	----------------	---	---

<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, जिनके पास स्तम्भ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	<p>50 वर्ष</p>
---	---	----------------

<p>21. संयुक्त निदेशक</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य</p>	<p>प्रोन्नति: प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा के अधीन प्रयोगशाला काडर (तकनीकी) में ऐसे</p>
---------------------------	--	---	---

	<p>अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा</p>	<p>तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डेरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/ पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य विश्लेषण/खाद्य मानक/ संरक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संगठन में खाद्य के विश्लेषण का होना चाहिए और खाद्य मानकों और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए और पांच वर्ष के अनुभव में से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए;</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) विष-विज्ञान/जीवाणु-विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान; और</p> <p>(ii) उपर्युक्त संबद्ध विषय में डाक्टरेट डिग्री।</p> <p>(iii) खाद्य सम्मिश्रण के संबंध में अनुसंधान करने/मार्गदर्शन देने का अनुभव (साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा)।</p>	<p>सूक्ष्मजीव विज्ञानियों/ मुख्य तकनीकी अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>
--	---------------------------------------	--	---

<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, जिनके पास स्तम्भ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/स्थायीकरण /सीधी भर्ती के लिए चयन समिति -</p> <p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार - सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	<p>45 वर्ष</p>
---	---	----------------

<p>22. सूक्ष्मजीव विज्ञानी/मुख्य तकनीकी अधिकारी</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल</p>	<p>प्रोन्नति:</p> <p>प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा के अधीन प्रयोगशाला काडर(तकनीकी) में ऐसे</p>
---	--	---	---

		<p>प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/ पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य विश्लेषण/खाद्य मानक/ संरक्षा में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संगठन में खाद्य के विश्लेषण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव और खाद्य मानकों और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित समस्याओं का ज्ञान (सूक्ष्मजीव विज्ञानी या जी. एम. खाद्य के पद के लिए खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान या जीवाणु-विज्ञान में पाँच वर्ष अनुसंधान या प्रयोगशाला अनुभव) जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षी हैसियत में होना चाहिए;</p> <p>टिप्पण: सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक शाखा के पदों की संख्या का निर्णय नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की संख्या संबंधित शाखा में से भरी जाएगी।</p>	<p>वरिष्ठ विशेषकों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>
--	--	---	---

<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, जिनके पास स्तम्भ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है; और (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति – (i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार - अध्यक्ष (ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य</p>	40 वर्ष
--	--	---------

23. वरिष्ठ विशेषक	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	लागू नहीं होता।	<p>प्रोन्नति: प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा के अधीन प्रयोगशाला काडर(तकनीकी) में ऐसे कनिष्ठ विशेषकों/ तकनीकी अधिकारियों (प्रयोगशाला)</p>
-------------------	---	-----------------	---

		में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।
--	--	---

<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: आवश्यक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य विश्लेषण/खाद्य मानक/ सुरक्षा में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संगठन में खाद्य के विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और खाद्य मानकों और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित समस्याओं का ज्ञान (सूक्ष्मजीव विज्ञानी के पद के लिए खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान या जीवाणु-विज्ञान या आनुवंशिक उपांतरित खाद्य में तीन वर्ष अनुसंधान या प्रयोगशाला अनुभव)।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति - (i) मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार - अध्यक्ष (ii) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं होता
--	---	----------------

24. तकनीकी अधिकारी (प्राध्यापक)/ कनिष्ठ विश्लेषक/ कनिष्ठ विश्लेषक (सूक्ष्म जीवविज्ञान)	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>आवश्यक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्मजीव विज्ञान/डैरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी/ पोषाहार/विष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी या किसी अन्य संबद्ध शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य और खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य विश्लेषण/खाद्य मानक/ संरक्षा में किसी प्रयोगशाला या अनुसंधान संगठन में खाद्य के</p>	<p>प्रोन्नति: प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रयोगशाला सेवा के अधीन प्रयोगशाला काडर(तकनीकी) में ऐसे वरिष्ठ विश्लेषकों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 2800 रु. में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p>
--	---	--	--

		<p>विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव और खाद्य मानकों और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित समस्याओं का ज्ञान (सूक्ष्मजीव विज्ञानी के पद के लिए खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान या जीवाणु-विज्ञान या जी.एम. खाद्य में अनुसंधान या प्रयोगशाला अनुभव)।</p> <p>टिप्पणी : सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक शाखा के पदों की संख्या का निर्णय नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ग्रेड में उद्भूत होने वाली रिक्तियों की संख्या संबंधित शाखा में से भरी जाएगी।</p>	
--	--	--	--

<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी, जिनके पास स्तम्भ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है; और</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii); या जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में कम-से-कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में कम से कम छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ स्थायीकरण /सीधी भर्ती के लिए चयन समिति –</p> <p>(i) मुख्य पी.ए.क्यू.ए. अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक (संबंधित प्रयोगशाला) - सदस्य</p> <p>(iii) उप-निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य</p>	30 वर्ष
---	--	---------

25. वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) और 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	किसी विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री।	<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे प्रयोगशाला सहायकों में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2000 रु. में (काडर में) दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जो स्तम्भ (3) में दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण किए हुए हैं।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'ग' निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-</p> <p>(i) निदेशक (संबंधित प्रयोगशाला)- अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त निदेशक/सूक्ष्मजीव विज्ञानी/मुख्य तकनीकी अधिकारी (संबंधित प्रयोगशाला) – सदस्य</p> <p>(iii) उप निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p>	32 वर्ष
--	---	---------

26. प्रयोगशाला सहायक	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा पर।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से रसायन विज्ञान सहित विज्ञान विषयों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ।	प्रोन्नति: ऐसे प्रयोगशाला परिचर चपरासी/दरवान/ चौकीदार/सफाईकर्मी (स्वीपर) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो स्तंभ 3 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण किए हुए हैं।
----------------------	---	---	---

लागू नहीं होता।	प्रोन्नति/स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) संयुक्त निदेशक/सूक्ष्मजीव विज्ञानी/मुख्य तकनीकी अधिकारी-अध्यक्ष (ii) निदेशक (संबंधित प्रयोगशाला), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक (स्थापना), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष ।
-----------------	--	-----------

27. अवर श्रेणी लिपिक/भंडारी/हिन्दी टाइपिस्ट/भंडार लिपिक	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा पर।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । (ii) अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट । (iii) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान ।	प्रोन्नति: ऐसे चपरासी/ दरवान/ चौकीदार/सफाई कर्मी (स्वीपर) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 1800 रु. में प्रयोगशाला में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो स्तंभ (3) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं/कौशल धारण किए हुए हैं।
---	---	--	---

लागू नहीं होता	प्रोन्नति/स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) उप-निदेशक (प्रशासन और वित्त), संबंधित प्रयोगशाला-अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी/वित्त और लेखा अधिकारी, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सहायक निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष
----------------	--	---------

28. चालक (ड्राइवर)	संविदा द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण करना; (iii) मोटर मैकेनिक का ज्ञान (अभ्यर्थी यानों में छोटी-मोटी वृष्टियां ठीक करने में समर्थ होना चाहिए); (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (v) हिन्दी या अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान।	लागू नहीं होता
--------------------	---	--	----------------

प्रतिनियुक्ति: ऐसे नियमित सवार हरकारों में से, जो मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण करते हैं।	प्रोन्नति/स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) उप-निदेशक (प्रशासन और वित्त) संबंधित प्रयोगशाला -अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी/वित्त और लेखा अधिकारी, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) सहायक निदेशक(स्थापना) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष
--	---	---------

29. प्रयोगशाला परिचर/ चपरासी/ दरवान/चौकीदार/ सफाईकर्मी (स्वीपर) (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	केवल संविदा द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद् से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ii) हिन्दी (बोलने और लिखने) का ज्ञान और अंग्रेजी की जानकारी।	लागू नहीं होता।
--	--------------------	---	-----------------

लागू नहीं होता।	स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) उप-निदेशक (प्रशासन और वित्त) संबंधित प्रयोगशाला-अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी/वित्त और लेखा अधिकारी, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- सदस्य (iii) सहायक निदेशक (स्थापना) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष
-----------------	--	---------

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवा						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पदनाम	भर्ती की पद्धति	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता और अनुभव	प्रोन्नति के लिए पात्रता के मापदंड	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता के मापदंड	चयन समिति	सीधी भर्ती के लिए आयु

प्रशासन काडर (तकनीकी)			
30. निदेशक (प्रबंधन)	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति: प्रोन्नति भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंधन सेवा के अधीन काडरों में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् (15600-39100 रु.) के वेतनमान(वेतन बैंड-3) और ग्रेड वेतन 7600 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की है; और (iii) जिनके पास प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त और सतर्कता मामलों में पर्यवेक्षी हैसियत में सात वर्ष का अनुभव है।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति- (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

31. संयुक्त निदेशक (प्रबंधन)/ सतर्कता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे उप निदेशक (प्रबंधन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में से जिन्होंने (15600-39100 रु.) के ग्रेड(वेतन बैंड-3) और ग्रेड वेतन 6600 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
---------------------------------------	--	----------------	--

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) जिनके पास प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त और सतर्कता मामलों में पर्यवेक्षी हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव है।	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति - (i) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रबंध), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) वित्त सलाहकार, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

32. उप निदेशक (प्रबंधन)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: ऐसे उप निदेशक (प्रबंधन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में से जिन्होंने (15600-39100 रु.) के ग्रेड(वेतन बैंड-3) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
-------------------------	---	----------------	--

<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिनके पास प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त और सतर्कता मामलों में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति -</p> <p>(i) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक (प्रबंध), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) वित्त सलाहकार, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।
---	---	-----------------

33. सहायक निदेशक (प्रबंधन)/ सतर्कता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) पद की अपेक्षा के आधार पर प्रशासन, मानव संसाधन विकास या/और सतर्कता मामलों संबंधी कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध में एम.बी.ए. डिग्री है।</p>	प्रोन्नति ऐसे सहायक (मुख्यालय) और सहायक (प्रयोगशाला) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण में से की जाएगी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् 9300-34800 रु. के वेतनमान (वेतन बैंड-2) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।
-------------------------------------	---	---	---

<p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिनके पास पद की अपेक्षा के आधार पर प्रशासन, मानव संसाधन विकास, या/और सतर्कता मामलों में पर्यवेक्षी हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव है।</p>	<p>सीधी भर्ती/प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति -</p> <p>(i) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक (प्रबंधन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) वित्त सलाहकार, मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p>	30 वर्ष।
---	---	----------

34. सहायक (मुख्यालय)/ (प्रयोगशाला)	सीधी भर्ती द्वारा।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक डिग्री; और (ii) कम्प्यूटर में साक्षर और एम.एस. आफिस और इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग करने में प्रवीण होना चाहिए।	लागू नहीं होता।
------------------------------------	--------------------	---	-----------------

लागू नहीं होता	सीधी भर्ती/प्रोन्नति/स्थायीकरण/ के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (प्रबंधन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक(स्थापना), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक(सामान्य प्रशासन), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष।
----------------	--	----------

35. चपरासी (मुख्यालय) (बहुकार्य कर्मचारीवृन्द)	सीधी भर्ती द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/परिषद् से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और (ii) हिन्दी (बोलने और लिखने) का ज्ञान और अंग्रेजी की जानकारी।	लागू नहीं होता
--	-------------------	--	----------------

लागू नहीं होता।	स्थायीकरण/सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:- (i) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) सहायक निदेशक(स्थापना का प्रभारी) - सदस्य	30 वर्ष।
-----------------	--	----------

वित्त और लेखा काडर

36. संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: प्रबंध सेवा के अधीन ऐसे उप निदेशक(प्रशासन और वित्त)/(प्रयोगशाला) काडर में से जिन्होंने 15600-39100 रु. (वेतन बैंड-3) और ग्रेड वेतन 6600 रु. के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
------------------------------------	---	----------------	--

<p>प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>(i) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/ भारतीय रेल लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा और अन्य केन्द्रीय लेखा समूह 'क' सेवा के ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार में उप-सचिव स्तर के पद धारण करने के लिए पात्र हैं; या</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के वित्त पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन बैंड-3 और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:-</p> <p>(i) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक (स्थापना) मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>
--	--	------------------------

<p>37. उप निदेशक (प्रशासन और वित्त)- प्रयोगशालाएं</p>	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>प्रोन्नति:</p> <p>भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवा के अधीन वित्त और लेखा काडर में वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी (मुख्यालय) और वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रयोगशाला) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>
---	---	------------------------	--

<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>(i) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/ भारतीय रेल लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा और अन्य केन्द्रीय लेखा समूह 'क' सेवा के ऐसे अधिकारी, जो भारत सरकार में उप-सचिव स्तर के पद धारण करने के लिए पात्र हैं; या</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के वित्त पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन बैंड-3 और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:-</p> <p>(i) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक (संबंधित प्रयोगशाला) - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>
--	--	------------------------

38. वरिष्ठ वित्त और लेखा अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रयोगशाला)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवा के अधीन वित्त और लेखा काडर में ऐसे वित्त और लेखा अधिकारी (मुख्यालय) और प्रशासन और लेखा अधिकारी (ज़ोन) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4800 रु. में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।
--	--	-----------------	--

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के वित्त पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी: (क) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (संबंधित प्रयोगशाला), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण -+ सदस्य (iii) उप निदेशक (प्रशासन और वित्त), संबंधित प्रयोगशाला - सदस्य	लागू नहीं होता।
--	---	-----------------

39. वित्त और लेखा अधिकारी/प्रशा. और लेखा अधिकारी (ज़ोन)	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवा के अधीन वित्त और लेखा काडर में ऐसे लेखा सहायक (प्रयोगशाला) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4800 रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।
---	---	----------------	---

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के वित्त पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (संबंधित ज़ोन), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।
---	--	-----------------

40. लेखा सहायक (प्रयोगशाला)	सीधी भर्ती द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वाणिज्य या वित्त में बैचलर डिग्री; और (ii) कम्प्यूटर में साक्षर और लेखाकरण साफ्टवेयर का प्रयोग करने में प्रवीण होना चाहिए।	लागू नहीं होता।
-----------------------------	-------------------	--	-----------------

लागू नहीं होता	स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (संबंधित ज़ोन), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) वित्त सलाहकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक (प्रशासन और वित्त), संबंधित प्रयोगशाला, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	30 वर्ष।
----------------	---	----------

आशुलिपिक काडर

41. वरिष्ठ निजी सचिव	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध सेवा के अधीन आशुलिपिक काडर में ऐसे निजी सचिव (मुख्यालय)/ निजी सचिव (ज़ोन)/ निजी सचिव (प्रयोगशाला) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।
----------------------	---	----------------	---

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक: (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में कम से कम छह वर्ष की नियमित सेवा की है।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (स्थापना), मुख्यालय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन), मुख्यालय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।
---	---	-----------------

42 निजी सचिव (मुख्यालय)/निजी सचिव(ज़ोन)/निजी सचिव (प्रयोगशाला)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और	लागू नहीं होता	प्रोन्नति: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रबंध
--	---	----------------	--

	50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।		सेवा के अधीन आशुलिपिक काडर में ऐसे वैयक्तिक सहायक (मुख्यालय) में से, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
--	----------------------------------	--	---

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक: (क) जो नियमित आधार पर सदस्य या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4200 रु या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (स्थापना), मुख्यालय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (सामान्य प्रशासन), मुख्यालय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) उप निदेशक (स्थापना), मुख्यालय, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता।
---	---	-----------------

43 वैयक्तिक सहायक (मुख्यालय)	सीधी भर्ती द्वारा।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बैचलर डिग्री और आशुलिपि में (80 शब्द प्रति मिनट) और टंकण में (अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट) और/या (हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट) की प्रवीणता। (ii) कम्प्यूटर में साक्षर और एम. एस. आफिस और इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग करने में प्रवीण होना चाहिए। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त या ख्याति प्राप्त संस्था से कार्यालय प्रबंध और सचिवालय प्रक्रिया का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या समतुल्य।	लागू नहीं होता।
------------------------------	--------------------	---	-----------------

लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) निदेशक (स्थापना), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (स्थापना), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	30 वर्ष
-----------------	--	---------

अन्य पद			
44.सहायक निदेशक (हिन्दी)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(i) हिन्दी में एम. ए. तथा बैचलर डिग्री में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में रहा हो; या अंग्रेजी में एम. ए. तथा बैचलर डिग्री में हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में रहा हो; (ii) अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो अपने संगठन के राजभाषा खंड में वरिष्ठ अनुवादक का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4600 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	सीधी भर्ती/प्रोन्नति/स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रबंध), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	30 वर्ष
---	--	---------

45. विधि अधिकारी	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में डिग्री तथा किसी ख्याति प्राप्त सरकारी/स्वशासी निकाय/अनुसंधान संस्था/ विश्वविद्यालय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विधिक फर्म में विधिक मामलों संबंधी कार्य करने या विधि अधिकारी के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।
------------------	---	--	-----------------

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के विधिक पृष्ठभूमि और विधिक मामलों संबंधी कार्य में अनुभव रखने वाले ऐसे अधिकारी : (क) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जो सरकारी संगठन में कनिष्ठ विधि अधिकारी/विधि सहायक का पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4600 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	सीधी भर्ती/प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) मुख्य प्रबंध सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रबंध), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण - सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	30 वर्ष
--	--	---------

46. पुस्तकालयध्यक्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और (ii) तीन वर्ष का कार्यसाधक अनुभव	लागू नहीं होता।
---------------------	---	--	-----------------

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/स्वशासी निकायों के पुस्तकालय विज्ञान की पृष्ठभूमि और अनुभव वाले ऐसे अधिकारी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 और ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य के ठीक निम्नतर ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/स्थायीकरण के लिए चयन समिति:- (i) मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण- अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रबंधन),-सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला समुचित स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ -सदस्य	
---	--	--

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./374/187-ओ]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2016

F. No.12/01/2010-Admn.FSSAI.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 2 of section 92 read with sub-section (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the following draft of the **Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2016** for the employees of Food Safety and Standards Authority of India, is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

The objections and suggestions, which may be received from any person, with respect to the said regulations, within the period specified above will be considered by the Authority in consultation with the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be forwarded to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi.

DRAFT REGULATIONS**CHAPTER I****PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the **Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2016**.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to posts specified in Annexure-I to these regulations.

2. Definitions -In these regulations unless the context otherwise requires, -

(a) “**Act**” means the Food Safety and Standards Act, 2006;

(b) “**Central Government**” means the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;

(c) “**Food Authority**” means Food Safety and Standards Authority of India established under sub-section 1 of section 4 of Food Safety and Standards Act, 2006;

(d) “**Chairperson**” means the Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of India;

(e) “**Chief Executive Officer**” means the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India;

(f) “**Employees**” means officers and employees of the Food Authority appointed on regular basis and includes those taken on deputation or short term contract;

(g) “**Controlling authority**” means the Chairperson in the Food Safety and Standards Authority of India;

(h) “**Candidate**” means the person who is eligible for consideration for any of the posts specified in the annexure;

(i) “**Age**” means the upper age limit as specified in Annexure-II;

(j) “**Appointing authority**” in relation to any post under the Food Authority means, -

- i. The Central Government in the case of Chief Executive Officer;
- ii. The Chairperson of the Authority in respect of all Group ‘A’ posts carrying Grade Pay of Rs.10,000; and above but does not include Chief Executive Officer;
- iii. The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group ‘A’ posts carrying Grade Pay less than Rs.10,000;
- iv. Chief Management Services Officer of the Authority in respect of all Group ‘B’ posts; and
- v. Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Authority in respect of all sanctioned Group ‘C’ posts under their respective jurisdiction;

(k) “**Disciplinary authority**” in relation to any post under the Food Authority means, -

- (i) The Central Government in the case of Chief Executive Officer;

- (ii) The Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts carrying Grade pay of Rs.10000 and above but does not include Chief Executive Officer;
- (iii) The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group 'A' posts carrying Grade Pay less than Rs.10,000;
- (iv) Chief Management Services Officer of the Authority in respect of all Group 'B' posts; and
- (v) Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Authority in respect of all sanctioned Group 'C' posts under their respective jurisdiction;
- (l) "Appellate Authority"** in relation to any post under the Food Authority means –
- (i) The appropriate Authority in the Central Government in respect of the Chief Executive Officer;
- (ii) The Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts;
- (iii) The Chief Executive Officer in respect of all Group 'B' posts; and
- (iv) Chief Management Services Officer of the Authority in respect of all Group 'C' posts;
- (m) "Reviewing Authority"** in relation to any post under Food Authority means, -
- (i) The Central Government in the case of Chief Executive Officer;
- (ii) The Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts carrying Grade Pay up to Rs.10,000 and above but does not include Chief Executive Officer;
- (iii) The Chairperson of the Authority in respect of all Group 'A' posts other than (ii) above and all Group 'B' posts; and
- (iv) The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all posts equivalent to Group 'C';
- (n) "Direct appointment"** means any appointment made by the Food Authority on the recommendation of the appropriate selection committee, otherwise than by appointment on deputation including short term contract or on contractual basis, in accordance with the provisions of these regulations on the basis of competitive examination or interview or both, other than the departmental competitive examination;
- (o) "Short-term contract"** means the method of recruitment of officers belonging to non-government organisations, such as universities, government controlled or funded recognised research institutions, public sector undertakings etc. on deputation on Foreign Service terms to the Food Authority for a limited period;
- (p) "Permanent employee"** means an employee who has been appointed by the Food Authority against a post which has been sanctioned without limit of time and who has been confirmed after completion of probation period satisfactorily;
- (q) "Probationer"** means an employee who has been appointed by the Food Authority against a permanent post, but has not been confirmed;
- (r) "Temporary employee"** means an employee who has been appointed by the Food Authority against a temporary post sanctioned for a specific period or appointed on temporary basis against a permanent post;
- (s) "Contract employee"** means an employee whose employment is on contract basis for a specific period;
- (ss) "Casual employee"** means an employee whose employment is of occasional or casual in nature;
- (sss) "Part-time employee"** means an employee who is appointed to render services on part-time basis and not against the regular time scale to work on full time basis;
- (t) "Annexure"** means annexure appended to these regulations;
- (u) "Function"** means and includes all work related to activities of the Food Authority;
- (v) "Service"** means service under the Food Authority.
- (w) "Recognised university or educational board"** means any University or Board incorporated by law in India and recognised by the University Grants Commission or any institution appointed by the Central and State Government for the purpose;
- (x) "Committee"** means Search cum Selection Committee, Departmental Promotion Committee, Screening or Expert Committee or Assessment Board as specified in Annexure or specific provisions under these regulations;
- (y)** Words and expressions used in these regulations but not defined, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) followed by General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

CHAPTER II
CLASSIFICATION OF POSTS AND SANCTIONED STRENGTH

3. Initial constitution.—All persons appointed in the service of the Food Authority on regular basis before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations and the service rendered by them shall be counted for the purpose of benefit of promotion and others.

4. Classification of Posts.—(1) The posts in the Food Authority shall be classified as follows:-

Sl No.	Description.	Classification of posts.
1	Post carrying grade pay of Rs. 5400 in the pay band -3 (Rs. 15600-39100) and above.	Group "A"
2	Post carrying grade pay of Rs. 4200 and above in the pay band -2 (Rs. 9300-34800).	Group "B"
3	Post carrying grade pay up to Rs. 2800 in the pay band -1 (Rs. 5200-20200).	Group "C"

(2) The above figures of pay and maximum scale of pay is as on 1st January, 2006 and shall correspondingly relate to the pay or maximum of pay scale fixed in previous revisions and shall also be correspondingly substituted by the revisions of pay scales from time to time.

5. Cadres, number of posts, classification and scales of pay.- (1) There shall be four distinct services in Food Safety and Standards Authority of India, namely, FSSAI Scientific Service, FSSAI Technical Service, FSSAI Laboratories Service and FSSAI Management Service besides some senior level posts outside service or cadre structure.

(2) The cadre management of all sanctioned Group 'A' and Group 'B' posts in Food Safety and Standards Authority of India shall be undertaken centrally at Headquarters of Food Safety and Standards Authority of India.

(3) The cadre management of sanctioned Group 'C' posts shall be controlled by Headquarters, Regional Offices and Laboratories in respect of all sanctioned posts under their respective jurisdiction. However, for Group 'C' post holders who are appointed to be absorbed in the Food Authority, their cadre management will be controlled at the Headquarters.

(4) The number of posts, their classification and the pay scales attached thereto shall be as specified in **Annexure-I**.

6. Mode of recruitment or appointment. – (i) Appointments against the sanctioned posts in the Food Authority may be made either through direct recruitment or on short-term contract basis or on deputation on foreign service terms or appointment on absorption or on promotion basis or through search cum selection process or on re-employment basis as per provisions under these regulations and as specified in **Annexure-II**;

(ii) The posts to be filled up by deputation would be widely circulated among such Ministries or Departments of the Central Government, Public Sector undertakings and State Governments and recognised Research Institutes or Labs which may have people with the requisite qualifications and experience matching the requirement of the Food Authority and willing to serve in Food Authority on deputation terms.

7. General conditions for appointment in the Food Authority.—The general conditions specified in sub regulations (1) to (9) shall apply to all appointments in the Food Authority.

(1) The Food Authority is empowered to lay down the procedure for appointment and promotion unless otherwise provided in the Act;

(2) Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard;

(3) No person shall be eligible for appointment to the service of the Food Authority unless he or she has attained the age of eighteen years;

(4) No person shall be qualified for appointment to the service of the Food Authority unless he or she is,-

(a) A citizen of India.

(b) Is covered by any other category of citizenship notified by the Central Government as eligible for appointment to service under the Government:

Provided that a person shall be treated as other category of citizenship if a certificate of eligibility has been granted by the Government of India in such person's favour.

(5) No person shall be appointed to the service of the Food Authority unless he or she,-

(a) Is a person bearing a good moral character and has not been convicted in the past for any offence as certified in Form – I by a Gazetted officer of the Central or State Government;

(b) Has been dismissed or removed or compulsorily retired from any Government or Public enterprise or private job or any other organisation on grounds of misconduct involving moral turpitude or otherwise.

(6) (a) No person,-

(i) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment;

(b) Every person shall be required to furnish a marriage declaration in **Form- II** before his or her appointment:

Provided that the controlling authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

(7) (a) Every employee shall declare on his or her first appointment or on being required to do so by the Food Authority, his or her date of birth according to the Christian Era and produce confirmatory documentary evidence thereof, such as Matriculation or School Leaving Certificate or Birth Certificate from Municipality or Corporation and in the absence thereof, such evidence as may be acceptable to the controlling authority. Date of birth cannot be contested later on after appointment.

(b) If any employee is unable to produce documentary evidence of his or her age, he or she shall state his or her age and submit a written affidavit sworn before a First Class Magistrate making a declaration that the age as stated by him or her is correct. The services of an employee giving a false affidavit or certificate in support of age, after such enquiry as may be necessary, shall be terminated forthwith and he or she shall be liable for any legal action as the Food Authority may deem fit. The decision of the Appointing Authority in this connection shall be final.

(8) (a) No person (other than a deputationist) shall be initially appointed to a post in the Food Authority by direct recruitment on whole time basis for a period exceeding three months, without a medical certificate of fitness or health issued by the Medical Officer or Medical Board, as the case may be, specified by the Food Authority. In case of a deputationist getting absorbed in the services of the Food Authority, he or she shall be required to undergo medical examination at the time of his or her absorption. All appointments shall be subject to the medical fitness as per prescribed standards for the post to which he or she is selected. The opinion of the Medical Officer or Medical Board, as the case may be, of the Food Authority or such Medical Officer or Medical Board designated by the Food Authority in this regard shall be taken into account by the appointing authority for a final decision in the matter.

No candidate who, after such medical examination as the Authority may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service shall be appointed to the posts. The fact that a candidate has been physically examined does not mean or imply that he or she shall be considered for appointment.

(b) The Food Authority in its discretion may get any employee medically examined any time during the period of his or her employment with the Food Authority.

(c) The medical fees and other charges incurred towards various tests, other than travel, stay, or for such other tests, as required to be performed for medical examination shall be reimbursed to the candidate on production of necessary bills or vouchers as per admissible rates of the Food Authority on his joining the post offered.

(9) Every person shall be required to submit before his or her appointment the following documents namely,-

(a) Attestation form (in triplicate) as specified in **Form-III** duly completed along with three copies of recent passport size photographs;

(b) Every employee shall inform the Food Authority his or her residential address on joining the service of Food Authority and any change therein from time to time;

(c) Every employee shall furnish the declaration, as may be specified by the Food Authority from time to time, in respect of address of Home Town within six months from the date of his appointment failing which the permanent address as entered in the application form at the time of initial appointment in the Food Authority shall be taken into consideration for the purpose;

Provided that an employee may change the Home Town address once in his or her service period;

(d) Every employee shall, on his first appointment in the Food Authority, furnish a return of assets and liabilities and annual return every year thereafter in the form prescribed by the Food Authority from time to time giving the full particulars regarding,-

(i) The immovable property inherited, owned or acquired by him, or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family;

(ii) Shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;

(iii) Other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him if the value of such property exceeds Rs.20,000/- in case of Group 'A' and 'B' and Rs.15,000/- in case of Group 'C' employees respectively;

(iv) Debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;

(e) Character Certificate from two Gazetted Officers of Central Government or State Government or Officers of equivalent status of a Public Sector Undertaking;

(f) Attested copies of Degree or Diploma Certificates in support of educational qualifications;

(g) Relieving order and last pay certificate from the previous employer (to be submitted by the new entrant if he or she is previously employed in Central Government or State Government or Public Sector Undertaking);

(h) Certificate in support of claim of belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class duly countersigned by the competent authority as authorised in this behalf by the State Government.

Note: - Without prejudice to the generality of the provisions of clauses under these regulations, no person shall be appointed unless the Appointing Authority is satisfied that the person is fit for appointment in all respects.

8. Recruitment norms. -

(1) All appointments against the sanctioned posts of the Food Authority shall be made by filling up the vacancies as per the method of recruitment and the qualifications, experience and maximum age limit contained in the **Annexure-II** to these regulations and the provisions specified in these regulations subject to the general guidelines issued by the Central Government, from time to time.

(2) The minimum educational qualifications for all the posts shall be as specified in **Annexure-II** and the specific area, as may be required, for the posts concerned and shall be decided by the controlling authority before the posts are advertised.

(3) The experience specified in **Annexure-II** shall be the experience acquired by the candidate after obtaining the minimum educational qualifications required for the post.

(4) The experience for the posts of the level of Director and above shall be of a senior level having core competence in work area and shall be capable of independently handling projects or programmes.

(5) The exact nature of experience in the required area as given in **Annexure-II** shall be indicated in the advertisement for the relevant post.

(6) The requirement as regards experience is relaxable at the discretion of the controlling authority, on the recommendations of the Selection Committee for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified or better qualified.

(7) The requirement as regards experience is also relaxable at the discretion of the controlling authority in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if, at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8) The recruitment shall be made in accordance with the provisions incorporated in **Annexure- II**.

(9) The Committees shall make their recommendations on the basis of the interview held and the evaluation of the past performance of the candidates and any other procedure as provided under these regulations. The appointing authority may however at its discretion, where considers it desirable, also stipulate whether written examination of the candidates is also required to be a part of the selection process.

(10) The recommendations of the Committees as specified in these regulations shall be effective from the date on which the appointing authority approves the recommendations.

9. General procedure to be followed for filling up of vacancies.-

(1) **Announcement of vacancies** – The Food Authority shall announce the number of vacancies to be filled up by direct recruitment, deputation on foreign service terms including short term contract and through search cum selection process or otherwise by inviting applications for appointment in the Food Authority and will ensure maximum reach of the information to the target group by using appropriate media including Employment News or Rojgar Samachar.

(2) **Prescription of forms and conditions for application** – The Food Authority may prescribe, as it deems fit, the form in which application shall be submitted, the documents, certificates to be submitted with the applications, the mode of submission, the last date for receipt of applications, fees and other charges to be charged from the applicants, if any.

(3) **Processing of Applications-** The appointing authority on the recommendations of the Screening Committee constituted by it shall shortlist candidates in accordance with eligibility or experience criteria laid down in the regulations for the posts, requirements of the job and the curriculum vitae of the candidates, for further processing.

(4) **Mode of selection-** The appointing authority may prescribe the mode of selection including written test or interview as specified in the notice or circular inviting applications, for assessing the suitability of the shortlisted candidates.

(5) **Constitution of Selection Committee-** The Selection Committee as prescribed in **Annexure II** shall make recommendations for appointment after assessing the suitability of the shortlisted candidates.

(6) **Select list of candidates-** On the recommendations of the Selection Committee, a select list of candidates arranged in order of merit, as accepted by the appointing authority shall be prepared which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the appointing authority may specify.

(7) Selection of candidates-

- (a) Offers of appointment to the candidates or the select list, limited to the number of advertised vacancies, shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the appointing authority;
- (b) The letter of Offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by the candidates, prior to appointment;
- (c) The appointing authority may cancel its Offer of appointment if the selected candidate fails to fulfil any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified time;
- (d) All appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents;
- (e) Where an offer of appointment is cancelled in the manner prescribed in clause (c) above, an Offer of appointment shall be issued to the candidate next below in the order of merit in the select list.

10. Direct recruitment.-

(1) (a) The vacancies which are to be filled up shall be advertised at least in two leading national daily Newspapers, Employment News and Rojgar Samachar;

(b) Applications not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall be liable to be summarily rejected:

Provided that the controlling authority may extend the time given for receiving the applications.

(2) The candidates possessing the educational qualifications and experience as specified in **Annexure-II** and other provisions under these regulations shall be eligible for direct recruitment through selection process. The appointing authority may at its discretion, where considers it desirable, also stipulate whether examination of the candidates is also required to be a part of the selection process.

(3) The appointing authority, in its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates as per recommendations of the Selection Committee, who may be offered employment against future vacancies in the concerned posts. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding twelve months from the date of its approval.

(4) If a departmental candidate is selected for appointment to any of the posts by direct recruitment, the post shall be considered to be filled by direct recruitment.

(5) The confirmation of the employees shall be considered by the Departmental Promotion Committee after satisfactory completion of probation period.

(6) A direct recruit may be given, in a deserving case a higher initial start than the minimum of the scale of the post to which he is appointed, on the recommendations of the Selection Committee for reasons to be recorded in writing:

Provided that, such an initial start shall not exceed two advance increments over the minimum of the scale.

11. Age limit for direct recruits.-

(1) The upper age limit for direct recruitment in each category of posts shall be as specified in **Annexure-II**.

(2) The upper age limit in respect of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Castes, the Ex-Servicemen, and the other special categories of persons shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(3) The upper age limit for Central or State Government civilian employees who have rendered five year regular and continuous service as on the closing date of application shall be eligible for relaxation in upper age limit up to a maximum of five years.

(4) The controlling authority may relax the upper age limit for all categories of posts in case of highly experienced candidates in specialised areas, which may be advertised along with the minimum relaxation admissible at the time of inviting applications to provide fair opportunity for all.

Note: - The closing date for the receipt of applications shall be the date for determining the upper age limit of the advertised posts.

12. Absorption.-

(1) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be recruited on absorption basis subject to fulfilment of the following conditions:-

- (i) The candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Annexure-II; and
- (ii) The candidate holds a post analogous to the post applied for.

(2) The appointing authority may, from time to time, by appropriate order, appoint on permanent absorption basis any person already appointed on deputation in the Food Authority:

Provided that no person shall be absorbed in the Food Authority unless, such person has,-

- (a) Given in writing his option to get permanently absorbed in the Food Authority, on being called to do so by the Food Authority, and
- (b) Possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Annexure-II to these regulations and has completed at least two years period on deputation in the Food Authority.

(3) The appointing authority may consider for absorption the persons referred to in sub-regulations (1) & (2) above, -

- (a) On recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority; and
- (b) In consultation with the parent Ministry or Department or Public Sector Undertakings and Statutory or Autonomous Body, as the case may be.

(4) The absorption of the employees transferred to the Food Authority under section 90 of Food Safety and Standards Act, 2006, who opt for permanent absorption in the Food Authority shall be done in the manner specified in the said Act.

13. Deputation (including Short Term Contract).-

(1) All appointments made on deputation on Foreign Service including short term contract in the Food Authority under these regulations shall be for a period not exceeding three years in the first instance, which may be extendable or renewable further up to two years at the discretion of the controlling authority

Which shall be based on the performance appraisal report of the candidate in consultation with the parent department.

(2) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be taken on deputation including short term contract in the manner as specified in these regulations and subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) Possessing minimum educational qualifications and experience as specified in **Annexure-II**, and

- (ii) Holding a post analogous to the post applied for or has put in minimum number of years of service rendered in the immediate lower post required for promotion to the deputation post or its analogous post.

(3) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further upto two years with the approval of the controlling authority in consultation with the parent organisation of the employee.

(4) The departmental candidates (Food Authority employees), who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre posts for which they are not the feeder grade officers.

(5) The vacancies which are required to be filled up on deputation basis in terms of the prescribed method of recruitment or caused on account of the incumbents being away on deputation or on long illness or on study leave or due to any other reason for a duration of one year or more may be filled on deputation basis including short-term contract for such period from the officers of the Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public sector undertakings and Government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions.

(6) If any employee is sent on deputation to any Department or Organisation, the terms and conditions of service of such employee shall be governed under regulations issued by the Food Authority and shall be eligible for all benefits which were available to such employee before proceeding to such deputation.

14. Search-cum-Selection.-

(1) Appointment to the posts carrying grade pay above Rs.10,000/- shall be made through Search-cum-Selection Committee to be constituted by the Government of India. The posts carrying grade pay up to Rs.10000/-, as specified in **Annexure-II**, shall be filled up by the Authority through Search-cum-Selection process.

(2) The candidates shall be appointed initially for a period not exceeding three years or till they attain the age of sixty years whichever is earlier on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee as specified in **Annexure II**.

(3) The panel recommended by the Search-cum-Selection committee will be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, a fresh Search-cum-Selection committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of the person in the earlier panel.

(4) The minimum educational qualifications and experience for candidates recruited through this process shall be as specified in Annexure-II, but the minimum period of experience may be relaxed in the case of candidates possessing expertise in highly specialised disciplines, provided it is so recorded in writing by the Search-cum-Selection Committee. The provision and extent of relaxation shall be incorporated in the vacancy circular or advertisement.

(5) The vacancy shall be given wide publicity through open advertisement or circulation among various Ministries or Departments or State Government or Autonomous Bodies or Government controlled or funded recognised Research Institutes, as also made available on the website of the Food Authority. A minimum period of at least four weeks shall be given to respond to the circular or advertisement for appointment.

15. Appointment by Promotion.-

(1) Appointment of regular employees by promotion who fulfil the eligibility criteria and experience as prescribed in **Annexure-II** to different grades will be made from the lower or feeder grades to the next higher post in direct line of promotion in the order of their seniority and on the recommendations of Departmental Promotion Committee. The DPC will be constituted as per the extant instructions of the government on the subject.

(2) Seniority.-

(a) The relative seniority of the employees of the Food Authority appointed to any post or grade at the time of initial formation of the cadre shall be fixed by the Food Authority in corresponding grade or post equivalent to the substantive post held by such employees in the structure of the Food Authority from the date of their absorption and unless decided otherwise on account of special reasons be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of this regulation.

(b) All officers included in the initial formation of the cadre in any post or grade shall rank senior to all officers appointed to that post or grade subsequently, as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later, his seniority in the post or grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent post or grade on regular basis in his parent department such regular

service in the post or grade shall also be taken into account in fixation of his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from-

- (i) The date he has been holding the post on deputation; or
- (ii) The date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent post or grade in his parent department, whichever is earlier:

Provided that the fixation of seniority shall be in accordance with the general instructions or principles of seniority laid down by the Central Government and the fixation of seniority of a transferee in accordance with the above principles shall not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption;

(d) The seniority of an officer not covered by the above provision shall be determined by the controlling authority.

(3) Mere fulfilment of eligibility criteria as specified in these regulations will not confer any right upon any individual for claiming promotion to the next higher post or grade. Cases for promotion would be considered subject to administrative expediency keeping in view availability of vacancies in the next higher post or grade.

16. Re-employment.-

(1) The Food Authority with the approval of controlling authority may appoint Central or State Government employee on re-employment basis against direct recruitment or deputation or promotion posts where the posts could not be filled up despite concerted efforts and if the posts are not filled up the work will be adversely affected.

Provided that such appointments against promotion posts shall be only for such duration till an eligible candidate under regular promotional channel is available:

Provided further that,-

- (i) The candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Annexure-II, and
- (ii) The candidate has held a post analogous to the post applied for:

Provided also that no person shall be appointed on re-employment basis in the Food Authority unless, such person has,-

- (a) Applied against an advertised post in the Food Authority.
- (2) The appointing authority shall appoint the persons referred to in sub-regulation (1) above,-
- (a) On the recommendation of the Expert Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority,
 - (b) The candidate otherwise fulfils general and special conditions provided for direct recruitment to such post against which the re-employment is being considered except with regard to upper age limit which, in case of re-employed persons shall not exceed maximum of sixty five years in any case, and
 - (c) The salary and allowances of the re-employed persons shall be fixed as per norms prescribed by the Central Government taking in to account the pension drawn (by such employees being considered for re-employment) from previous employment.

17. Contract appointment. –

The Food Authority with the approval of controlling authority may appoint employees on contract basis for a specified period to meet short term requirements not exceeding three years on such entry qualifications, contract time frames and terms and conditions as may be specified.

18. Allowances to Veterinary and Medical degree holders.-

The appointments made under technical and scientific cadre posts, where the veterinary or medical degree is essential qualification for appointment to the post to be filled up as decided by the controlling authority, shall be eligible for grant of non-practicing allowance available to a Central Government employee of equivalent status.

19. Discharge of duties of higher grade and lower grade in certain cases.-

The appointing authority may, by order, having regard to the exigency of service, direct, -

- (i) To look after work of next higher grade for such period as may be specified in the order, to the officer or staff member while he continues to hold a particular post and responsibility without any pecuniary benefit; or
- (ii) An officer, belonging to a higher grade in the cadre while holding such post, to look after the responsibilities relating to a post in the immediately lower grade.

20. Other service conditions liability to serve in India and outside. –

- (1) The employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
- (2) The employees appointed shall be liable to undergo such training and such courses in India or abroad as the controlling authority may decide from time to time.
- (3) Any employee detailed for training or course, the duration of which is six months or more or any employee detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be required to execute a bond to serve the Food Authority for a minimum period of three years and shall be liable to refund in full the cost of the training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he or she chooses to discontinue his or her service from the Food Authority .
- (4) Every person shall take oath under Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) before his or her appointment.

21. Commencement of Service.—Service of the employee shall commence from the working day on which such employee reports for duty on appointment if he or she reports for such duty in the forenoon and from the following day if he or she reports for duty in the afternoon.

22. Probation and Confirmation.—(1) Every person appointed to a post by direct recruitment shall be on probation for a period of two years subject to other limitations as provided under sub-regulation (2) of regulation 10:

Provided that persons who are inducted into a new service through promotion shall also be placed on probation for two years, but there will be no probation for a person promoted from one grade to another within the same service, except where the promotion involves a change in the Group of posts in the same service, such as promotion from Group 'B' to Group 'A', in which case the probation shall be for a period of two years:

Provided further that there shall be no probation in the case of officers appointed to various posts on:-

- (a) Contract basis;
 - (b) Deputation;
 - (c) Tenure basis;
 - (d) Permanent transfer; and
 - (e) Re-employment after superannuation.
- (2) On the expiry of the period of probation, action shall be taken immediately to obtain the assessment reports on the probationer and to -
- (a) Confirm the probationer or to issue orders regarding satisfactory completion and termination of probation, as the case may be, if the employee has completed his period of probation to the satisfaction of the appointing authority; or
 - (b) Extend the period of probation twice by a further period of a maximum of six months on each occasion for reasons to be recorded in writing wherever it is decided to extend the probation period or discharge the probationer or terminate the services of the probationer, as the case may be, in accordance with the relevant regulations and orders, if the probationer has not completed the period of probation satisfactorily:

Provided that if the probationer is a promotee, he shall be reverted to his former position on the recommendations of the Expert Selection Committee, instead of terminating his service.

- (3) The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation, as the case may be, shall be communicated to the probationer normally within eight weeks.
- (4) The confirmation of the probationer after completion of the period of probation is not automatic but is to be followed by formal orders, as long as no specific orders of confirmation or satisfactory completion of probation are issued to a probationer, such probationer shall be deemed to have continued on probation.
- (5) The date from which confirmation should be given effect to is the date following the date of satisfactory completion of the prescribed period of probation or the extended period of probation, as the case may be.

23. Performance appraisal.— In the matter of the performance appraisal of the officers and employees of the Food Authority, the instructions issued by the Central Government shall be followed.

24. Disciplinary proceedings and imposition of penalties.— Provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, shall, mutatis mutandis, be applicable to the officers or employees of the Authority in the matter of conduct and discipline.

25. Discharge and Termination of Service.—(1) The services of an employee may be terminated without assigning any reason as under:-

(i) An employee who is not confirmed in any grade by giving him one month notice in writing or pay in lieu of notice [from either side].

(ii) The appointment of an employee against temporary post shall be terminated automatically on the expiry of the specific period for which the post has been sanctioned or expiry of the period for which he or she is appointed. If he or she continues in service on the expiry of the period aforesaid, he or she shall, however, continue as a temporary employee and shall acquire no right of lien to be considered for regular appointment.

(2) The services of an employee may be terminated by the Food Authority on the following grounds amongst others:-

(a) Insolvency,

(b) Conviction by a court of law for criminal offence amounting to moral turpitude; or

(c) On being declared unfit for further service on medical grounds.

(3) The power of 'Discharge Simplicitor' shall be exercised by the controlling authority.

(4) (a) No employee shall resign from his service without giving three months notice specifying grounds for resignation which shall be considered by the controlling authority who may in its discretion accept or reject in public interest such permission for reasons to be recorded in writing.

(b) The acceptance of resignation and discharge from service in lieu of notice served under clause (a) of sub-regulation (4) shall however be subject to vigilance clearance and acceptance by the controlling authority. The controlling authority may, at the request of employee, waive or shorten the notice period with or without compensation for reasons to be recorded in writing, or accept the request of the employee.

(c) A notice given under sub-regulation (1) may be accepted with immediate effect or any time before the expiry of the period of notice, in which case the employee shall be paid the salary in respect of the entire period of notice given by him or her:

Provided that the resignation of an employee if the circumstances so warrant, such as, disciplinary proceedings are pending or are contemplated, shall not be accepted unless prior approval is sought from controlling authority.

(d) In case shorter period of notice is accepted at the request of the employee, he or she shall be entitled to receive his or her pay and allowances only for the actual number of days worked.

(e) An employee may be permitted at the discretion of the Food Authority to adjust notice period and shortfall of notice period against earned leave standing to his or her credit on the date of submission of resignation.

Explanation.—For the purposes of this regulation, the word 'pay' shall include all emoluments which would be admissible, if the employee was on earned leave.

26. Superannuation or retirement.- (1) An employee shall retire from his service on superannuation on attaining the age of sixty years. His or her actual retirement shall take effect as follows:-

(a) If the employee's date of birth falls on the first day of the month in which he or she attains the age of sixty years, the retirement shall take effect on the last date of the preceding month;

(b) If his or her date of birth falls on the second or on a later date of the month, his or her retirement shall be effective on the last date of the month in which he or she attains the age of superannuation.

(2) In case an employee seeks voluntary retirement under this clause after attaining the age of fifty years, he shall be entitled to such terminal benefits as admissible under any regulation made by Food Authority in this regard.

(3) Notwithstanding anything contained herein before, the Food Authority may introduce a scheme for voluntary retirement in keeping with the Food Authority's objectives and in line with the Government directives in this regard.

(4) An employee, who has attained the age of fifty years and is considered to be-

(i) Inefficient, or

(ii) Doubtful integrity, or

(iii) Medically unfit,

may be prematurely retired by the Competent Authority:

Explanation – For the removal of doubts the criteria for determining inefficient, doubtful integrity or medically unfit, the following procedure shall be followed, namely:-

(a) Inefficient.—Inefficiency shall be evaluated on the basis of Performance Appraisal Reports. An employee, who has consecutively secured poor rating in his or her Appraisal Reports for the preceding three years, may be deemed as a fit case for premature retirement;

(b) Doubtful integrity.—An employee, who gets an adverse comment on his or her integrity consecutively for three years in his or her Appraisal Reports, shall be recommended for premature retirement;

(c) Medical unfitness.—If an employee,-

- (i) Has been continuously on leave on medical grounds or sickness for a long duration; or,
- (ii) though attending duties, if found to be mentally deranged; or,
- (iii) Is suffering from infectious or contagious or incurable disease,

The Appointing Authority may refer the employee to a Medical Board for a thorough medical check-up and report on the medical condition of the employee.

Along with its recommendations whether or not the employee is fit to be continued in the Food Authority.

(d) In case it is certified by the Medical Board that the employee is not fit to be continued in the service of Food Authority, his or her case for premature retirement shall be considered by the Appointing Authority.

(e) Premature retirement on medical grounds is independent of and without prejudice to the right of the Food Authority under the contract employment to dispense with the services of an employee after serving the prescribed notice.

27. Retention of lien of the employees of Food Authority.-

(1) The Food Authority, at its discretion, may allow lien to an employee generally for a maximum period of two years consequent upon his or her appointment in another autonomous body, Public sector enterprise or Government department on direct recruitment basis and the same may be extended by another year in exceptional circumstances.

(2) Regular employees who are selected for foreign appointment with United Nations or international bodies on the basis of selection or nomination may be allowed to retain lien on their regular posts for a period not exceeding three years provided the employee gives an undertaking that he or she shall return to India after the expiry of his or her tenure abroad as foreign assignment:

Provided that during the period of lien, the Food Authority shall not take any liability for re-payment of leave salary, provident fund, gratuity, pension contribution, and other and the employee himself or herself has to make arrangements for such payments.

28. Treatment of unauthorised absence.—

(1) An employee who is absent from duty without any authority, shall not be entitled to the pay and allowances during the period of such absence. The unauthorised absence of this kind, apart from resulting in loss of pay and allowances for the period of such absence, shall also constitute a break in service entailing forfeiture of past service unless the break is condoned and treated as 'dies-non' by the Competent Authority.

(2) The consequences of unauthorised absence from duty which is not condoned in any manner shall be as follows, namely:-

- (a) No pay and allowances are admissible during the period of unauthorised absence;
- (b) No increment or earned leave shall be counted for the period of such unauthorised absence;
- (c) No gratuity and benefits under the contributory Provident Fund shall be given for the period of interruption in service caused by such unauthorised absence; and
- (d) Period can be treated as Dies-Non.

29. Official Tours - An employee shall be liable to proceed on tour for official duty to any place within India or abroad as and when so required by the Food Authority for which he or she may be paid Travelling Allowance or Daily Allowance as provided under the regulations on the subject made by the Food Authority in this regard.

30. Safety - Every employee shall be bound to observe safety guidelines as specified from time to time by the Food Authority in discharge of official duties and breach of guidelines shall be construed as misconduct and such employee shall be liable for disciplinary proceedings.

31. Hours of work and attendance - (1) Every employee shall comply with all instructions issued from time to time relating to attendance, arrival and departure, the period and hours of work for different categories of employees or to an employee and every employee shall be at work at the time fixed and specified by the Food Authority from time to time.

(2) Attendance shall be marked daily according to the method and procedure as may be specified by the Food Authority from time to time.

32. Holidays - The list of holidays shall be specified by the Food Authority in the beginning of the year or at any time thereafter, if necessary.

33. Identity cards.—Every employee shall be provided with an identity card. The employee shall show the identity card if required to do so by the representative of the Food Authority or Government official authorised to check such Card and regulate entry of persons to the premises of the Food Authority and every employee leaving service of the Food Authority for any reasons whatsoever shall surrender his or her identity card.

34. Compliance of other instructions issued by the Food Authority.—Every employee shall comply with such other instructions as may be issued by the Food Authority from time to time.

35. Property of Food Authority.—Any material such as documents or information or reports generated by an employee or those received or obtained by an employee during the course of his or her official duty from internal or external sources shall be property of the Food Authority.

36. Service Certificate.—A service certificate shall be issued on the request of an employee at the time of discharge, dismissal, termination of his or her service, resignation or retirement.

37. Power of relaxation.—The power of relaxation shall lie with the Central Government.

38. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be binding.

ANNEXURE - I

STRUCTURE AND POSTS IN FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

SENIOR LEVEL POSTS OUTSIDE ANY SERVICE/ CADRE					
Sl. No.	Name of the Post	Classification	Number of Posts [retained (permanent) + new (temporary)]	Scale of Pay	
				Revised pay band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chief Executive Officer	Group A	1	67000-(A1@3%) 79000/-	
2	Chief Scientific Advisor	Group A	1	67000-(A1@3%) 79000/-	
3	Chief Management Services Officer	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	10000
4	Chief PAQA Officer	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	10000
5	Chief Enforcement Officer	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	10000
6	Financial Advisor	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	8700
7	Director (Surveillance/ Enforcement /Codex)	Group A	3	37400-67000 [PB-4]	8700
8	Director (Zones)	Group A	3	37400-67000 [PB-4]	8700
FSSAI SCIENTIFIC SERVICES					
1	Scientist Group V	Group A	2	37400-67000(PB-4)	8900
2.	Scientist Group IV	Group A	4	37400-67000(PB-4)	8700

3	Scientist Group III	Group A	6	15600-39100 (PB-3)	7600
4	Scientist Group II	Group A	6	15600-39100 (PB-3)	6600
5	Scientist Group I	Group A	12	15600-39100 (PB-3)	5400
FSSAI MANAGEMENT SERVICES					
ADMINISTRATION CADRE					
1	Director (Management)	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	8700
2	Joint Director (Management)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	7600
3	Joint Director (Vigilance)	Group A	1	15600-39100 [PB-3]	7600
4	Deputy Director (Management)	Group A	4	15600-39100 [PB-3]	6600
5	Assistant Director (Management)	Group A	6	15600-39100 [PB-3]	5400
6	Assistant Director (Vigilance)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
7	Assistants	Group B	5	9300-34800 [PB-2]	4200
8	Assistant (Laboratories)	Group B	4(Kolkata+ Raxual-3, Mumbai-1)	9300-34800 [PB-2]	4200
9	Peons (Multi-Tasking Staff)	Group C	13	5200-20200 [PB-1]	1800
FINANCE AND ACCOUNTS CADRE					
1	Joint Director (Finance & Accounts)	Group A	1	15600-39100 [PB-3]	7600
2	Dy. Director (Administration & Finance)- (Laboratories)	Group A	2(Kolkata-1, Mumbai-1)	15600-39100 [PB-3]	6600
3	Sr. Finance & Accounts Officer	Group B	1	9300-34800 [PB-2]	5400
4	Sr. Accounts Officer	Group B	2(Kolkata-1, Mumbai-1)	9300-34800 [PB-2]	5400
5	Finance & Accounts Officer	Group B	3	9300-34800 [PB-2]	4800
6	Admn. and Account Officer (Zones)	Group B	4	9300-34800 [PB-2]	4800
7	Account Assistant (Laboratories)	Group B	2(Kolkata-1, Mumbai-1)	9300-34800 [PB-2]	4200
STENOGRAPHERS CADRE					
1	Sr. Private Secretary	Group B	3	9300-34800 [PB-2]	4800

2	Private Secretary (PS)	Group B	12	9300-34800 [PB-2]	4200
3	Personal Assistant	Group B	15	9300-34800 [PB-2]	4200
4	Private Secretary (Zones)	Group B	3	9300-34800 [PB-2]	4200
5	Private Secretary (Laboratories)	Group B	2	9300-34800 [PB-2]	4200
OTHER POSTS					
1	Assistant Director (Hindi)	Group A	1	15600-39100 [PB-3]	5400
2	Law Officer	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
3	Librarian	Group B	1	9300-34800 [PB-2]	4200
FSSAI TECHNICAL SERVICES					
1	Directors (Technical / PAQA)	Group A	1	37400-67000 [PB-4]	8700
2	Joint Director (Enforcement)	Group A	1	15600-39100 [PB-3]	7600
3	Joint Director (Zones)	Group A	4	15600-39100 [PB-3]	7600
4	Deputy Directors (PAQA)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	6600
5	Deputy Director (Surveillance)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	6600
6	Deputy Director (Enforcement)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	6600
7	Deputy Director (Codex)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	6600
8	Deputy Director (Zones)	Group A	14	15600-39100 [PB-3]	6600
9	Assistant Directors (PAQA)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
10	Assistant Director (Surveillance)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
11	Assistant Director (Enforcement)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
12	Assistant Director (Codex)	Group A	2	15600-39100 [PB-3]	5400
13	Assistant Director (Zones)	Group A	9	15600-39100 [PB-3]	5400
14	Technical Officer (Headquarters)	Group B	5	9300-34800 [PB-2]	4200
15	Technical Officer (Zones)	Group B	15	9300-34800 [PB-2]	4200
16	Peons (Zones) (Multi-Tasking Staff)	Group C	9	5200-20200 [PB-1]	1800

17	Project Associates	To be taken on contract basis as per the scheme to be formulated on the pattern of intern scheme of Department of Economic Affairs
----	--------------------	--

Sl. No.	Name of Post	Classification	CFL, Kolkata & Raxual	CFL, Mumbai	Total	Scale of Pay	
						Revised pay band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	Director	Group A	1	1	2	37400-67000 [PB-4]	8700
2	Jt. Director	Group A	1	1	2	15600-39100 [PB-3]	7600
3	Microbiologist	Group A	1	3	6	15600-39100 [PB-3]	6600
4	Chief Technical Officer	Group A	2			15600-39100 [PB-3]	6600
5	Senior Analyst	Group A	5	5	10	15600-39100 [PB-3]	5400
6	Technical Officer/lecturer/Junior Analyst/Junior Analyst (Microbiologist)	Group B	16	10	26	9300-34800 [PB-2]	4200
7	Senior Laboratory Assistant	Group C	6	4	10	5200-20200 [PB-1]	2800
8	Laboratory Assistant	Group C	12	6	18	5200-20200 [PB-1]	2000
9	Laboratory Attendant (Multi-Tasking Staff)	Group C	13		13	5200-20200 [PB-1]	1800
MINISTERIAL POSTS (LABORATORIES)							
1	Store Keeper/LDC	Group C	2		2	5200-20200 [PB-1]	1900
2	Hindi Typist/LDC	Group C	1		1	5200-20200 [PB-1]	1900
3	Store Clerk	Group C	1		1	5200-20200 [PB-1]	1900
4	Driver	Group C				5200-20200 [PB-1]	1900
5	Peon (Multi-Tasking Staff)	Group C	3		3	5200-20200 [PB-1]	1800
6	Durwan (Multi-Tasking Staff)	Group C	1		1	5200-20200 [PB-1]	1800
7	Watchman (Multi-Tasking Staff)	Group C	2		2	5200-20200 [PB-1]	1800
8	Sweeper	Group C	2		2	5200-20200 [PB-1]	1800

Note: (i) The posts indicated against Column (4) in the above Table includes transferred retained permanent posts and also newly created temporary posts.

(ii) FRSL, Ghaziabad has been transferred to DGHS and the posts under the Laboratory have been excluded from the Table.

FORM - I**CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE**

(See sub-regulation (5) of regulation 7)

Certified that I have known Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of _____ for the last _____ years _____ months, and to the best of my knowledge and belief he/she bears a good moral character and has no antecedents which should render him/her unsuitable for Government employment. Shri/Smt./Kumari _____ is not related to me.

Signature

Name in Block Letters

Date:

Place: Designation and Seal

Office Telephone No.

INSTRUCTIONS

1. To be signed or counter-signed by a Gazetted Officer of the Government of India or a State Government or Magistrate 1st Class or a Member of the Parliament or State Legislature.
2. Signatory's designation may also be given in block letters.
3. Period, for which the vouching officer should have known the candidate should be at least one year.
4. The certificate should be of recent date.

FORM - II**DECLARATION AT THE TIME OF JOINING FSSAI**

(See sub-regulation (6) (b) of regulation 7)

I, Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of _____ hereby declare that, -

(a) I am already married and have not more than one wife living and I will not contract another marriage without first obtaining permission of the Food Authority of India and special dispensation from the Government of India, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to me.

(b) I am already married and my marriage is not void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or I have not married a person who has wife living at the time of such marriage.

(c) I am unmarried and declare to be governed by clauses (a) and (b) above in the event of my marriage subsequently.

Signature _____

Name in full _____

Date: _____

Place: _____

Note: Please strike out the clause/clauses not applicable.**FORM-III****ATTESTATION FORM**

(See sub-regulation (9) (a) of regulation 7)

WARNING

1. The furnishing of false information or suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification, and is likely to declare the candidate unfit for employment under the Food Authority.

2. If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted subsequent to this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent early, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

3. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the services of a person, his services would be liable to be terminated.

1. Name in full (in block capitals)

SURNAME

NAME

with aliases, if any (please indicate if you have added or dropped in any stage any part of your name or surname.)

2. Present address in full i.e., village

Thana and District, or House No.

Lane/ Street/Road and Town.

3. (a) Home address in full i.e.

Village, Thana and District, or

House No., Lane/ Street/Road and

Town and name of District

Headquarter.

(b) If originally a resident of

Pakistan/Bangladesh (erstwhile

East Pakistan) the address in that

country and the date of migration to

Indian Union.

4. Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than year at a time during the previous five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years, should be given.

From	To	Residential address in full. (i.e. Village, Thana and or House No./Lane/ Street/Road and Town).	Name of the District Headquarters of the places mentioned in the preceding column.

5.

Name	Nationality (by birth and / or by domicile)	Place of Birth	Occupation Present/ Permanent (if employed give designation and official address)	Present postal address (if dead give last address)	Permanent Home address

I. Father's name in full and aliases if any,					
II. Mother					
III. Wife/Husband					
IV. Brother(s)					
V. Sister(s)					

5(a) Information to be furnished with regard to son(s) and /or daughter(s) in case they are studying /living in a foreign country:

Name	Nationality (by Birth and/or By domicile)	Place of birth	Country in which studying/ living with Full address	Date from which studying/ living in the Country mentioned in Previous col.

6. Nationality :

7. (a) Date of birth :

(b) Present age :

(c) Age at matriculation. :

8. (a) Place of birth :

District and State :

In which situated

(b) District and State :

to which you belong.

(c) District and State :

to which your father

Originally belong.

9. (a) Your religion :

(b) Are you a Scheduled Caste/ :

Scheduled Tribe/OBC/

Physically Handicapped/

Ex-Servicemen?

(c) If yes, mention caste / :

Category/Details

10. Educational qualifications showing places of education with years in schools and colleges since 15th years of age.

Examination passed	Name of School/ College with full address	Date of entering	Date of leaving	Percentage of marks obtained

11. (a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central or State Govt. or a semi-Government or a Quasi-government body, or an autonomous body, or a Public undertaking, or a Private firm or Institution? If so, give full particulars with dates, or employment, up-to-date:

Period	Designation, emoluments and nature of employment	Full name and address of employer	Reasons for leaving previous service.

(b) If the previous employment was under the Government of India/State Government / Undertaking owned or controlled by the Government of India or a State Government /an Autonomous Body/University/ Local body. If you had left service on giving a month's notice under rules 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, or any similar corresponding rules, were any disciplinary proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date, before your services actually terminated?

12. (I) a) Have you ever been arrested? Yes/No
- b) Have you ever been prosecuted? Yes/No
- c) Have you ever been kept under detention? Yes/No
- d) Have you ever been bound down? Yes/No
- e) Have you ever been fined by a Court of Law? Yes/No
- f) Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence? Yes/No
- g) Have you ever been debarred from any examination or rusticated by any University or any other Educational Authority/Institution? Yes/No
- h) Have you ever been debarred /disqualified by any Public Service Commission/Staff Selection Commission for any of its examination/Selection? Yes/No
- i) Is any case pending against you in any Court of Law at the time of filling up this Attestation Form? Yes/No

- j) Is any case pending against you in any University or any other Educational Authority/Institution at the time of filling up this Attestation Form? Yes/No
- k) Whether discharged/expelled/withdrawn from any training institution under the Government or otherwise? Yes/No

(II) If the answer to any of the above mentioned question is 'Yes' give full particulars of the case/arrest/detention/nature of the case pending in the Court/University/Educational Authority etc., at the time of filling up this form.

NOTE: (I) Please also see the 'warning' at the top of this Attestation Form.

(II) Specific answers to each of the questions should be given by striking out 'Yes' or 'No' as the case may be.

13.

Name & address of two responsible persons of your locality or two references to whom you are known and not related to you	
---	--

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government/Authority.

Date _____

Place _____

Signature of candidate

(Certificate to be signed by any one of the following)

- (i) Gazetted Officer of Central or State Government;
- (ii) Members of Parliament or State Legislature belonging to the constituency where the candidate or his parents/guardian is ordinarily resident;
- (iii) Sub-Divisional Magistrates/Officers;
- (iv) Tehsildars or Naib/Deputy Tehsildars authorized to exercise magisterial powers;
- (v) Principal/Head Master of recognised school;
- (vi) Block Development Officer;
- (vii) Post master;
- (viii) Panchayat Inspectors.

Certified that I know Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of Shri _____ for the last ____ years _____ months and that to the best of my knowledge particulars furnished by him/her are correct.

Date _____

Signature _____

Place _____

Designation or status and address

TO BE FILLED BY THE OFFICE

- (i) Name, designation and full address of appointing authority.
- (ii) Post for which the candidate is being considered.

ANNEXURE-II

SENIOR LEVEL POSTS OUTSIDE CADRE / COMMON TO MORE THAN ONE SERVICE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Designation	Mode of recruitment	Qualification and Experience for Direct Recruitment	Eligibility criteria for Promotion	Eligibility criteria for Deputation	Selection Committee	Age for Direct Recruitment
1. Chief Executive Officer	To be appointed by the Central Government					
2. Chief Scientific Advisor	By deputation including short term contract [Selection shall be made through the Search - cum - Selection Committee process].	Not applicable	Not applicable	The appointment shall be made on the recommendations of Search - cum- Selection Committee from amongst the eligible officers who fulfil the following criteria: (i) Eminent Scientists possessing Doctorate Degree from a recognised University or Institution in field of Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related discipline with twenty years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety and out of the aforesaid 20 years atleast 10 years should be in a supervisory capacity; (ii) Experience of evolving, managing and directing programmes under any branch of Food Science; and (iii) Possessing proven record of good quality research publications.	Search cum Selection Committee to be constituted by the Government of India.	Not applicable
3. Chief Management Services Officer	By deputation including short term contract [Selection shall be made through the Search cum Selection Committee process].	Not applicable	Not applicable	Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies/ Government controlled /funded recognised research institutions/Universities/ PSUs : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis preferably being empanelled as Joint Secretary in the Government of India; or (ii) With five years regular service in Pay Band 4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700/-or equivalent; and (iii) Having 10 years experience of administration, finance and vigilance matters.	Search- cum- Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI -Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Member (iii) Two experts of appropriate level to be nominated by Food Authority - Members.	Not applicable

4. Chief Enforcement Officer	By deputation including short term contract [Selection shall be made through the Search cum Selection Committee process].	Not applicable	Not applicable	<p>Officers from Central or State Government/ Autonomous Bodies/ Government controlled /funded recognised research institutions /Universities / PSUs:</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent post on regular basis; preferably being empanelled as Joint Secretary in the Government of India; or</p> <p>(ii) With five years regular service in Pay Band 4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700/- or equivalent; and</p> <p>(iii) Having 10 years experience of administering and implementation or enforcement of food laws.</p>	<p>Search -cum -Selection Committee shall comprise of:-</p> <p>(i) Chairperson, FSSAI -Chairman</p> <p>(ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Member</p> <p>(iii) Two experts of appropriate level to be nominated by Food Authority - Members.</p>	Not applicable
5. Chief PAQA Officer	By deputation including short term contract [Selection shall be made through the Search cum Selection Committee process].	Not applicable	Not applicable	<p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies/ Government controlled /funded recognised research institutions /Universities / PSUs.</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With five years regular service in Pay Band 4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.87,00; or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related discipline with eighteen years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety and out of the aforesaid 18years at least 9 years should be in a supervisory capacity; or Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with 15 years working experience in the Laboratories/ research institutions/ scientific organisations in the fields mentioned above in this para and out of 15 years at least 8 years should be in a supervisory capacity; and</p> <p>(iv) Published research work of high standards in related field.</p>	<p>Search -cum -Selection Committee shall comprise of:-</p> <p>(i) Chairperson, FSSAI -Chairman</p> <p>(ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Member</p> <p>(iii) Two experts of appropriate level to be nominated by Food Authority - Members.</p>	Not applicable

6. Financial Advisor	By deputation/transfer on deputation (including short term contract)	Not applicable	Not applicable	Deputation/transfer on deputation: (i) Officers from Indian Audit and Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/Indian Railways Accounts Service/Indian Defence Accounts Service or other Central Accounts Group A Services, eligible to hold Director level posts in the Government of India; or (ii) Officers from Central or State Government/ Autonomous Bodies with finance background and experience: (a) Holding analogous or equivalent post on regular basis; or (b) With five years regular service in the next lower grade of Pay Band -3 with grade pay of Rs.7600 or equivalent.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Chief Management Services Officer, FSSAI-Member. (iii) One expert of appropriate level to be nominated by the Food Authority- Member.	Not applicable
7. DIRECTOR (Surveillance)/ (Enforcement) / (Codex)	By deputation (including short term contract)	Not applicable	Not applicable	Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies: (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.7600 or equivalent; and (iii) Having background and /or seven years experience of administering and implementation or enforcement of food laws.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Chief Scientific Advisor, FSSAI- Member. (iii) One expert of appropriate level to be nominated by Food Authority - Member.	Not applicable
8. DIRECTOR (Zones)	By promotion or by deputation (including short term contract) in the ratio of 33.33% : 66.67%	Not applicable	Promotion: From amongst Joint Directors under Management and Technical Services of the FSSAI, in the Pay Band 3 with grade pay Rs.7600who have rendered a minimum of five years regular service in the grade.	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies: (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.7600 or equivalent; and (iii) Having background and /or seven years experience of administering and implementation or enforcement of food laws.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Chief Scientific Advisor, FSSAI- Member. (iii) One expert of appropriate level to be nominated by Food Authority - Member.	Not applicable

FSSAI SCIENTIFIC SERVICE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Designation	Mode of recruitment	Qualification and Experience for Direct Recruitment	Eligibility criteria for Promotion	Eligibility criteria for Deputation (including short term contract)	Selection Committee/DPC	Age for Direct Recruitment
9. Scientist Group V	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with fifteen years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least seven years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; or (ii) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with twelve years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (iii) Should have published research work in related field.	Officers with three years regular service in Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) with grade pay of Rs. 8700 or equivalent.	Officers from Central or State Governments or Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least three years regular service in Pay Band 4 (Rs. 37400-67000) with grade pay of Rs. 8700 or equivalent; or (iii) With at least eight years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs.7600 or equivalent.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Member. (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer – Member.	Not exceeding 50 years
10. Scientist Group IV	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with fifteen years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; or (ii) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with twelve years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (iii) Should have published research work in related field.	Officers with five years regular service in Pay Band - 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 7600 or equivalent.	Officers from Central or State Governments or Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs.7600 or equivalent; or (iii) With at least ten years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs.6600 or equivalent.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Member. (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer-Member.	Not exceeding 50 years

11. Scientist Group III	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Biochemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Biotechnology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with eight years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination.; or (ii) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with six years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least three years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination..	Officers with five years regular service in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 6600 or equivalent.	Officers from Central or State Governments or Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs.6600 or equivalent; or (iii) With at least ten years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs.5400 or equivalent.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Chairman. (ii) Chief PAQA Officer, FSSAI-Member. (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer-Member.	Not exceeding 40 years
12. Scientist Group II	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in field of Chemistry/Biochemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Biotechnology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with eight years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least two years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination.; or (ii) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with six years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least two years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination..	Officers with six years regular service in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 5400 or equivalent.	Officers from Central or State Governments or Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With six years regular service in Pay Band -3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 5400 or equivalent.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Chairman. (ii) Chief PAQA Officer, FSSAI-Member. (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer-Member.	Not exceeding 35 years

13. Scientist Group I	By direct recruitment.	<p>Essential qualifications:-</p> <p>Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with at least two years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination.</p> <p>Desirable qualifications:-</p> <p>Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects.</p> <p>Note: The number of posts in each discipline shall be decided by the controlling authority and the number of vacancies arising in the grade shall be filled up from respective disciplines.</p>	Not applicable	Not applicable	<p>Selection Committee shall consist of –</p> <p>(i) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Chief PAQA Officer, FSSAI-Member.</p> <p>(iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member.</p>	30 years
------------------------------	------------------------	---	----------------	----------------	--	----------

FSSAI TECHNICAL SERVICE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Designation	Mode of recruitment	Qualification and Experience for Direct Recruitment	Eligibility criteria for Promotion	Eligibility criteria for Deputation	Selection Committee	Age for Direct Recruitment
14. DIRECTOR (Technical) / (PAQA)	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	Not applicable	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Joint Directors in FSSAI Technical Services cadre who have rendered a minimum of five years regular service in the grade after appointment thereto in Pay band 3 with grade pay Rs.7600.</p>	<p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies:</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.7600 or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing the following educational qualification and experience:-</p> <p>(a) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/ Nano Technology or any other related disciplines</p>	<p>Selection Committee shall consist of –</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Chief Scientific Advisor, FSSAI-Member.</p> <p>(iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member.</p>	Not applicable

				<p>with twelve years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least six years should be in a managerial capacity; or</p> <p>(b) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with ten years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions/Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least five years should be in a managerial capacity.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

15. JOINT DIRECTOR (Enforcement)/ (Zones)	By Promotion failing which by deputation (Including short term contract).	Not applicable	Promotion: From amongst Deputy Directors in FSSAI Technical Services who have rendered a minimum of five years regular service in the grade after appointment thereto in Pay Band 3 with grade pay Rs.6600.	<p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies:</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least five years regular service in Pay band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.6600 or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing the following educational qualification and experience:-</p> <p>(a) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/ Nano Technology or any other related disciplines with twelve years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least four years should be in a managerial capacity; or</p>	<p>Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:-</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Chief PAQA Officer/ Enforcement Officer to be nominated by CEO-Member</p> <p>(iii) Chief Management Services Officer, FSSAI-Member.</p>	Not applicable
--	---	----------------	--	--	--	----------------

				(b) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with at least six years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least three years should be in a managerial capacity.		
--	--	--	--	---	--	--

16. DEPUTY DIRECTOR (Enforcement)/ (Surveillance) / (PAQA)/ (Codex) / (Zones)	50% by Promotion and 50% by deputation (including short term contract)	Not applicable	Promotion: From amongst Assistant Directors in the cadre of FSSAI Technical Services who have rendered a minimum of five years regular service in the grade after appointment thereto in Pay Band 3 with grade pay Rs.5400.	Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.5400 or equivalent and (iii) Possessing the following educational qualification and experience:- (a) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/ Nano Technology or any other related disciplines with six years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least 3 years should be in a supervisory capacity.; or (b) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with at least four years experience of working in research and development in a Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least two years should be in the managerial capacity	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Chief PAQA Officer/ Enforcement Officer to be nominated by CEO-Member (iii) Chief Management Services Officer, FSSAI-Member.	Not applicable
--	--	----------------	--	--	---	----------------

17. ASSISTANT DIRECTOR (Enforcement) / (Surveillance) / (PAQA) / (Codex) / (Zones)	50% by promotion failing which by deputation (including short term contract) and 50% by direct recruitment	Essential qualifications:- Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in field of Chemistry/Biochemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Biotechnology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with at least two years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions/ Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety. Desirable qualification:- Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects	Promotion shall be made from amongst Technical Officers of FSSAI Technical Services with a minimum of eight years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Scale of Rs.9300-34800 (Pay Band 2) with grade pay of Rs.4200.	Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least three years regular service in Pay Band 2 (Rs.9300-34800) with grade pay Rs.4600 or equivalent; or (iii) With at least eight years regular service in Pay Band 2 (Rs.9300-34800) with grade pay Rs.4200 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation/direct recruitment:- (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Chief PAQA Officer/ Enforcement Officer to be nominated by CEO- Member (iii) Chief Management Services Officer, FSSAI- Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer-Member	30 years
---	--	--	--	--	--	----------

18. TECHNICAL OFFICER (Headquarter) / (Zones)	By direct recruitment	Essential qualifications:- Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Biochemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Engineering/ Veterinary Science/ Biotechnology/ Nutrition/Toxicology or any other related disciplines.	Not applicable	Not applicable	Selection Committee for confirmation or direct recruitment:- (i) Director (PAQA)/ Director (Enforcement)/Director(Surveillance)/Director (Zones) concerned —Chairman (ii) Director (Management) Headquarter FSSAI —Member (iii) Joint Director (PAQA)/ Joint Director (Enforcement)/Joint Director (Surveillance)/ Joint Director (Zones) concerned —Member	30 years
--	-----------------------	--	----------------	----------------	--	----------

19. PEONS (ZONES) {MULTI TASKING STAFF}	By Direct Recruitment or by contract	(i) Matriculation or equivalent from recognised board/council ; and (ii) Knowledge of Hindi (speaking and writing) and familiarity with English.	Not applicable	Not applicable	Selection Committee for confirmation or direct recruitment:- (i) Joint Director/Deputy Director (Concerned Zone), FSSAI —Chairman (ii) Dy. Director (General Admn) Hqrs, FSSAI —Member (iii) Assistant Director (in charge of establishment) Headquarter, FSSAI —Member	30 years
--	--------------------------------------	---	----------------	----------------	--	----------

FSSAI LABORATORIES SERVICE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Designation	Mode of Recruitment	Qualification and Experience for Direct Recruitment	Eligibility criteria for Promotion	Eligibility criteria for Deputation	Selection Committee	Age for Direct Recruitment
LABORATORIES CADRE (TECHNICAL)						
20. Director	50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment, failing which by deputation (including short term contract).	Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/Nutrition/ Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with at least twelve years experience in food processing/ food analysis / food standard / safety and related areas out of which at least 10 years should be in a Laboratory or Research Organisation in the analysis of food and knowledge of food standards and of problems connected with	Promotion: Promotion shall be made from amongst Joint Directors in Laboratories cadre (Technical) under FSSAI Laboratory Services with 5 years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.7600.	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs. 7600 or equivalent.	Selection Committee shall consist of - (i) Chief Executive Officer, FSSAI — Chairman. (ii) Chief Scientific Advisor —Member (iii) Chief PAQA Officer, FSSAI-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member	50 years

		<p>food adulteration and out of 10 years experience at least 5 years experience should be in a supervisory capacity; and</p> <p>(ii) At least six years experience of conducting/ guiding research on food composition (evidence to be furnished)</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(i) Training and Research in Toxicology/Bacteriology; and</p> <p>(ii) Doctorate degree in the aforesaid subject concerned.</p>			
--	--	--	--	--	--

21. Joint Director	50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment, failing which by deputation (including short term contract).	<p>Essential qualifications:-</p> <p>(i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio-chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/ Nano echnology or any other related disciplines with at least eight years experience in food processing/ food analysis / food standard / safety and related areas out of which at least five years should be in a Laboratory or Research Organisation in the analysis of food and knowledge of</p>	<p>Promotion:-</p> <p>Promotion shall be made from amongst Microbiologists/ Chief Technical Officers in Laboratories cadre (Technical) under FSSAI Laboratory Services with 5 years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600.</p>	<p>Deputation:-</p> <p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and :</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600 or equivalent.</p>	<p>Selection Committee for deputation/confirmation/direct recruitment:-</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI —Chairman.</p> <p>(ii) Chief Scientific Advisor —Member</p> <p>(iii) Chief PAQA Officer, FSSAI-Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member.</p>	45 years
---------------------------	--	---	---	--	--	----------

		<p>food standards and of problems connected with food adulteration and out of five years experience at least three years experience should be in a supervisory capacity.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(i) Training and Research in Toxicology/Bacteriology; and</p> <p>(ii) Doctorate degree in the aforesaid subject concerned.</p> <p>(iii) Experience of conducting/guiding research on food composition (evidence to be furnished)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

22. Microbiologist/ Chief Technical Officer	50% by promotion, failing which by deputation and 50% by direct recruitment.	<p>Essential qualifications -</p> <p>(i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Biochemistry/Food Technology/Edible Oil Technology/Microbiology/Dairy Technology/Agriculture Sciences/Veterinary Science/Bio-technology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with at least five years experience in food processing/food analysis / food standard / safety in a Laboratory or Research Organisation in the analysis of food and knowledge of food standards</p>	<p>Promotion:</p> <p>Promotion shall be made from amongst Senior Analyst in Laboratories cadre (Technical) under FSSAI Laboratory Services with 5 years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.5400.</p>	<p>Deputation:</p> <p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs. 5400 or equivalent.</p>	<p>Selection Committee for deputation/confirmation/direct recruitment:-</p> <p>(i) Chief Scientific Advisor —Chairman.</p> <p>(ii) Chief PAQA Officer, FSSAI —Member</p> <p>(iii) Chief Management Services Officer, FSSAI- Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member</p>	40 years
--	--	--	--	---	--	----------

		<p>and of problems connected with food adulteration (five years research or laboratory experience in Food Microbiology or Bacteriology for the post of Microbiologist or GM Food) out of which at least two year should be in a supervisory capacity.</p> <p>Note: The number of posts in each discipline to be filled up on direct recruitment shall be decided by the controlling authority and the number of vacancies arising in the grade shall be filled up from respective discipline.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

23. Senior Analyst	By promotion, failing which by deputation.	Not applicable	<p>Promotion: Promotion shall be made from amongst Junior Analysts/Technical Officers (Labs) in Laboratories cadre (Technical) under FSSAI Laboratory Services with eight years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800, with Grade Pay of Rs.4200.</p>	<p>Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies:</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least eight years regular service in Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) with grade pay Rs. 4200 or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing the following educational qualifications and experience :-</p> <p>Essential qualification:-</p> <p>(i) Masters Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/</p>	<p>Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:-</p> <p>(i) Chief Scientific Advisor —Chairman.</p> <p>(ii) Chief PAQA Officer - Member</p> <p>(iii) Chief Management Services Officer, FSSAI —Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member</p>	Not applicable
---------------------------	--	----------------	--	--	---	----------------

				<p>Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with at least three years experience in food processing/ food analysis /food standard /safety in a Laboratory or Research Organisation in the analysis of food and knowledge of food standards and of problems connected with food adulteration (three years research or laboratory experience in Food Microbiology or Bacteriology or Genetically Modified Food for the post of Microbiologist).</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>24. Technical Officer (Lecturer)/ Junior Analyst / Junior Analyst (Microbiologist)</p>	<p>80% by direct recruitment and 20% by promotion failing which by deputation.</p>	<p>Essential qualifications:- (i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/Nano Technology or any other related disciplines with two years experience in food processing/ food analysis / food standard / safety in a Laboratory or Research Organisation in the analysis of food and knowledge of</p>	<p>Promotion: Promotion shall be made from amongst Senior Laboratory Assistants in Laboratories cadre (Technical) under FSSAI Laboratory Services with eight years regular service in the grade after appointment there to in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800, with grade pay of Rs.2800.</p>	<p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (3) and: (i) Holding analogous or equivalent post on regular basis; or (ii) With at least three years regular service in Pay band - 2 (Rs.9300-34800) with grade pay Rs.4600 or equivalent; or (iii) With at least six years regular service in Pay band 2 (Rs.9300-34800) with grade pay Rs. 4200 or equivalent.</p>	<p>Selection Committee for confirmation/direct recruitment:- (i) Chief PAQA Officer FSSAI -Chairman (ii) Director (Laboratory concerned) - Member (iii) Deputy Director (Establishment) , Headquarter, FSSAI - Member</p>	<p>30 years</p>
--	--	--	--	---	---	-----------------

		<p>food standards and of problems connected with food adulteration (research or laboratory experience in Food Microbiology or Bacteriology or GM Food for the post of Microbiologist).</p> <p>Note: The number of posts in each discipline to be filled up on direct recruitment shall be decided by the controlling authority and the number of vacancy arising in the grade shall be filled up from respective discipline.</p>				
25. Senior Laboratory Assistant	66.67% by promotion failing which by deputation (including short term contract) and 33.33% by direct recruitment	Bachelor's degree in any science subject.	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Laboratory Assistants with ten years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 1 of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2000 (in the cadre).</p>	<p>Deputation:</p> <p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With five years regular service in Pay Band 1 (Rs. 5200-20200) with grade pay Rs.2400 or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing the educational qualifications and experience as in column (3).</p>	<p>Departmental Promotion Committee (Group 'C ') shall consist of –</p> <p>(i) Director (Lab concerned) -Chairman</p> <p>(ii) Joint Director/Microbiologist/Chief Technical Officer (Lab concerned) -Member.</p> <p>(iii) Deputy Director (Establishment), Headquarter, FSSAI - Member</p>	32 years
26. Laboratory Assistant	25% by promotion and 75% by direct recruitment failing which short term contract.	12 th standard passed or equivalent in Science subjects with Chemistry from a recognised Board/institution .	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Laboratory Attendant Peon/ Durwan/ Watchman/Sweeper with three years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 1 of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800 in the laboratory and possessing educational qualification as prescribed for direct recruits at column 3.</p>	Not applicable	<p>Selection Committee for promotion/ confirmation/ direct recruitment:-</p> <p>(i) Joint Director/ Microbiologist/Chief Technical Officer -Chairman.</p> <p>(ii) Director (Laboratory) concerned, FSSAI - Member.</p> <p>(iii) Dy. Director (Establishment), FSSAI - Member.</p>	30 years

MINISTERIAL POSTS (LABORATORIES)						
27. LDC / Store Keeper/ Hindi Typist / Store Clerk	25% by promotion and 75% by direct recruitment failing which short term contract.	(i) 12th passed or equivalent from a recognised Board or institution. (ii) Typing speed of 35 WPM in English or 30 WPM in Hindi (iii) Knowledge of computer operation	Promotion: From amongst Peon/Durwan/Watchman/Sweeper with three years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 1 of Rs. 5200-1800 in the laboratory and possessing educational qualifications/skills and experience as prescribed for direct recruits at column (3).	Not applicable	Selection Committee for promotion/confirmation/direct recruitment:- (i) Dy. Director (Admn & Finance), Laboratory concerned -Chairman. (ii) Senior Finance and Accounts Officer/Finance and Accounts Officer, Headquarter FSSAI - Member (iii) Assistant Director (Establishment), Headquarter, FSSAI - Member	30 years

28. Driver	By contract failing which by deputation	(i) 10th standard passed; (ii) Possession of a valid driving license for motor cars; (iii) Knowledge of motor mechanic (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iv) Experience of driving a motor car at least for three years; and (v) Working knowledge of Hindi or English.	Not applicable	Deputation: From amongst regular despatch riders who possess valid Driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor Cars.	Selection Committee for promotion /confirmation/direct recruitment:- (i) Dy. Director (Admn & Finance), Laboratory concerned -Chairman. (ii) Senior Finance and Accounts Officer/Finance and Accounts Officer, Headquarter FSSAI - Member (iii) Assistant Director (Establishment), Headquarter, FSSAI- Member	30 years
-------------------	--	--	----------------	---	---	----------

29. Laboratory Attendant / Peon/ Durwan / Watchman / Sweeper (MULTI TASKING STAFF)	By Contract only	(i) Matriculation or equivalent from recognised board or council; and (ii) Knowledge of Hindi (speaking and writing) and familiarity with English.	Not applicable	Not applicable	Selection Committee for confirmation/direct recruitment:- (i) Dy. Director (Admn & Finance), Laboratory concerned -Chairman. (ii) Senior Finance and Accounts Officer/Finance and Accounts Officer, Headquarter FSSAI - Member (iii) Assistant Director (Establishment), Headquarter, FSSAI - Member	30 years
---	-------------------------	---	----------------	----------------	---	----------

FSSAI MANAGEMENT SERVICE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Designation	Mode of Recruitment	Qualification and Experience for Direct Recruitment	Eligibility criteria for Promotion	Eligibility criteria for Deputation	Selection Committee	Age for Direct Recruitment

ADMINISTRATION CADRE (HEADQUARTERS)						
30. Director (Management)	By promotion, failing which by deputation (including short term contract).	Not applicable	<p>Promotion:</p> <p>Promotion shall be made from amongst Joint Directors in cadres under FSSAI Management Services with a minimum of five years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Scale of Rs. 15600-39100 (Pay Band 3) with grade pay of Rs.7600.</p>	<p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies and:</p> <p>(i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) with grade pay Rs. 7600 or equivalent; and</p> <p>(iii) Possessing seven years' experience of administration, human resource development, Finance and vigilance matters in supervisory capacity.</p>	<p>Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:-</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI — Chairman.</p> <p>(ii) Chief Management Services Officer, FSSAI —Member.</p> <p>(iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member</p>	Not applicable

31. Joint Director (Management)/ (Vigilance)	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation (including short term contract).	Not applicable	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Deputy Directors (Management), FSSAI with five years regular service in the grade of Rs. 15600-39100 (PB-3) with grade pay of Rs.6600.</p>	<p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.6600 or equivalent and</p> <p>(iii) Possessing five years' experience of administration human resource development or/ and vigilance matters in supervisory capacity.</p>	<p>Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:-</p> <p>(i) Chief Management Services Officer, FSSAI - Chairman.</p> <p>(ii) Director (Management) , FSSAI - Member</p> <p>(iii) Financial Advisor, Headquarter, FSSAI - Member</p>	Not applicable
---	---	----------------	--	---	---	----------------

32. Deputy Director (Management)	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation (including short term contract).	Not applicable	Promotion: From amongst Deputy Directors (Management), FSSAI with five years regular service in the grade of Rs. 15600-39100 (PB-3) with grade pay of Rs.5400.	Deputation (including short term contract): Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies and : (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least five years regular service in Pay Band 3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.5400 or equivalent and (iii) Possessing three years' experience in administration human resource development, or / and vigilance matters in supervisory capacity.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- i) Chief Management Services Officer, FSSAI — Chairman. (ii) Director (Management), FSSAI —Member (iii) Financial Advisor, Headquarter, FSSAI —Member	Not applicable
---	---	----------------	--	--	--	----------------

33. Assistant Director (Management)/ (Vigilance)	50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment.	(i) Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution; and (ii) Two years experience in handling administration, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Note: Preference shall be given to candidates possessing MBA degree from a recognised university/ Institution in personnel/human resource management.	Promotion shall be made from amongst Assistants (Headquarter) and Assistant (Lab), FSSAI with a minimum of eight years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Scale of Rs.9300-34800 (Pay Band 2) with grade pay of Rs.4200.	Officers from Central or State Governments/Autonomous Bodies and: (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least three years regular service in Pay Band 2 (Rs. 9300-34800) with grade pay Rs. 4600 or equivalent; and (iii) Possessing three years' experience in administration human resource development, or / and vigilance matters depending on the post requirement.	Selection Committee for direct recruitment/ promotion/ confirmation:- (i) Chief Management Services Officer, FSSAI—Chairman. (ii) Director (Management), FSSAI —Member (iii) Financial Advisor, Headquarter, FSSAI —Member.	30 years
---	---	---	---	---	--	----------

34. ASSISTANTS (Headquarter)/ (Laboratories)	By direct recruitment	(i) Bachelor's Degree from a recognised university /Institutions; and (ii) Should be computer literate	Not applicable	Not applicable	Selection Committee for direct recruitment/ promotion/ confirmation:- (i) Director (Management), FSSAI- Chairman (ii) Deputy Director	30 years
---	-----------------------	---	----------------	----------------	---	----------

		and proficient in using MS Office and internet etc.			(Establishment), FSSAI-Member (iii) Deputy Director (General Admn), Headquarter, FSSAI-Member.	
--	--	---	--	--	---	--

35. PEONS (Headquarter) {MULTI TASKING STAFF}	By direct recruitment	(i) Matriculation or equivalent from recognised board/council; and (ii) Knowledge of Hindi (speaking and writing) and familiarity with English.	Not applicable	Not applicable	Selection Committee for confirmation/direct recruitment:- (i) Joint Director /Deputy Director (Establishment), Headquarter, FSSAI —Chairman (ii) Dy. Director (General Admn), Headquarter, FSSAI—Member (iii) Assistant Director (in charge of establishment) —Member	30 years
--	-----------------------	--	----------------	----------------	--	----------

FINANCE AND ACCOUNTS CADRE

36. Joint Director (Finance & Accounts)	By promotion, failing which by deputation (including short term contract).	Not applicable	Promotion: From Deputy Directors (Admn & Finance)/ (Laboratories) cadre under Management Services with five years regular service in the grade of Rs. 15600-39100 (PB-3) with grade pay of Rs. 6600.	Deputation/transfer on deputation (including short term contract): (i) Officers from Indian Audit and Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/Indian Railways Accounts Service/Indian Defence Accounts Service and other Central Accounts Group A Services, eligible to hold Dy. Secretary level posts in the Government of India; or (ii) Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with finance background and experience: (a) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (b) With at least five years regular service in the next lower grade of PB-3 with grade pay of Rs.6600 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Chief Management Services Officer, FSSAI —Chairman. (ii) Financial Adviser, FSSAI —Member. (iii) Director (Establishment), Headquarter, FSSAI —Member	Not applicable
--	--	----------------	---	--	--	----------------

37. Deputy Director (Admn. & Fin) Laboratories	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation (including short term contract).	Not applicable	Promotion: From amongst Senior Finance and Account Officer (Headquarters) and Senior Accounts Officers, (Laboratories) in finance and accounts cadre under FSSAI Management Service with five years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.5400.	Deputation: (i) Officers from Indian Audit and Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/Indian Railways Accounts Service/Indian Defence Accounts Service and other Central Accounts Group A Services, eligible to hold Dy. Secretary level posts in the Government of India; or (ii) Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with finance background and experience: (a) holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (b) with at least five years regular service in the next lower grade of PB-3 with grade pay of Rs.5400 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Chief Management Services Officer, FSSAI —Chairman. (ii) Financial Adviser, FSSAI —Member (iii) Director (Lab concerned) —Member	Not applicable
---	---	----------------	---	--	--	----------------

38. Senior Finance & Accounts Officer / Senior Accounts Officer (laboratories)	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation (including short term contract).	Not applicable	Promotion: From amongst Finance and Accounts Officer (Headquarters) and Admn& Accounts Officers, (Zones) in finance and accounts cadre under FSSAI Management Service with two years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4800.	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with finance background and experience: (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) with at least two years regular service in the next lower grade of PB-2 with Grade pay of Rs.4800 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Director (Lab concerned), FSSAI —Chairman. (ii) Financial Adviser, FSSAI —Member (iii) Dy. Director (Admn and Finance), Laboratory concerned —Member	Not applicable
---	---	----------------	--	--	--	----------------

39. Finance & Accounts Officer/ Admn and Accounts Officer (Zones)	25% by promotion failing which by deputation and 75% by deputation (including short term contract).	Not applicable	Promotion: From amongst Accounts Assistants (Laboratories) in finance and accounts cadre under FSSAI Management Service with six years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200.	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with finance background and experience: (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) with at least six years regular service in the next lower grade of PB-2 with grade pay of Rs.4200 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Director concerned Zones, FSSAI —Chairman. (ii) Financial Adviser, FSSAI —Member (iii) Dy. Director (Establishment), Headquarter, FSSAI — Member.	Not applicable
40. Accounts Assistant (Laboratories)	By direct recruitment.	(i) Bachelor's Degree in commerce or finance from a recognised University or Institution; and (ii) Should be computer literate and proficient in using accounting software.	Not applicable.	Not applicable.	Selection Committee for confirmation:- (i) Director (Lab concerned), FSSAI —Chairman. (ii) Financial Adviser, FSSAI — Member (iii) Dy. Director (Admn and Finance), Lab concerned, FSSAI —Member	30 years

STENOGRAPHERS CADRE

STENOGRAPHERS CADRE						
41. Senior Private Secretary	By promotion, failing which by deputation (including short term contract)	Not applicable	Promotion: From amongst Private Secretary (Headquarters)/ Private Secretary (Zones) /Private Secretary (Laboratories) in stenographers cadre under FSSAI Management Service with six years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200.	Deputation: Private Secretaries/Personal Assistants from Central or State Governments/ Autonomous Bodies: (i) Holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) With at least six years regular service in the next lower grade of PB-2 with grade pay of Rs.4200 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Director (Establishment), Headquarter, FSSAI-Chairman. (ii) Dy. Director (General Admn), FSSAI- Member (iii) Dy. Director (Establishment), Headquarter, FSSAI-Member.	Not applicable

42. Private Secretary (Headquarters) / Private Secretary (Zones) /Private Secretary (Laboratories)	50% by promotion failing which by deputation and 50% by deputation	Not applicable	Promotion: From amongst Personal Assistants (Headquarters) in stenographers cadre under FSSAI Management Service with five years regular service in the grade after appointment thereto in the Pay	Deputation: Private Secretaries/Personal Assistants from Central or State Governments/ Autonomous Bodies: (i) holding analogous or	Selection Committee for deputation/ promotion/ confirmation:- (i) Director (Establishment), Headquarter, FSSAI-Chairman. (ii) Dy. Director (General Admn), Headquarter,	Not applicable
---	--	----------------	---	--	---	----------------

			Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200.	equivalent posts on regular basis; or (ii) with at least five years regular service in the next lower grade of PB-2with grade pay of Rs. 4200 or equivalent.	FSSAI- Member (iii) Dy. Director (Establishment) Headquarter, FSSAI- Member	
--	--	--	---	---	--	--

43. Personal Assistant (Headquarters)	By direct recruitment .	<p>Essential :</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University/institution with proficiency in shorthand (80 WPM) and typing (40 WPM - English) and/ or (35 WPM-Hindi)</p> <p>(ii) Should be computer literate and proficient in using MS Office and internet etc.</p> <p>Desirable:</p> <p>Diploma or certificate in office management and secretarial procedure or equivalent from a recognised or reputed institution.</p>	Not applicable	Not applicable	<p>Selection Committee for direct recruitment/ confirmation:-</p> <p>(i) Director (Establishment), FSSAI —Chairman</p> <p>(ii) Deputy Director (Establishment), FSSAI —Member</p> <p>(iii) One outside member of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member</p>	30 years
--	-------------------------	---	----------------	----------------	---	----------

OTHER POSTS

44. Assistant Director (Hindi)	By direct recruitment failing which by deputation.	<p>(i) M.A. in Hindi with English as one of the elective languages; or MA in English with Hindi as one of the elective languages.</p> <p>(ii) three years experience of translation of English to Hindi and vice-versa.</p>	Not applicable	<p>Deputation:</p> <p>Officers from Central or State Government/ Autonomous Bodies:</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) holding the post of Senior Translators in the official language wing in his/her organisation with at least three years regular service in the pay band 2 with grade pay of Rs. 4600.</p>	<p>Selection Committee for direct recruitment/ promotion/ confirmation:-</p> <p>(i) Chief Management Services Officer, FSSAI-Chairman</p> <p>(ii) Director (Management), FSSAI- Member</p> <p>(iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer – Member</p>	30 years
---------------------------------------	--	---	----------------	--	---	----------

45. Law Officer	By deputation failing which by direct recruitment.	Degree of Law from a recognised University or institution with three years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government/Autonomous body /Research Institutions /Universities/PSUs/ Law firms.	Not applicable	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with Law background and experience in handling legal matters: (i) Holding analogous posts in the cadre on regular basis; or (ii) Holding the post of Junior Law Officer/Law Assistant in Government organisation with three years regular service in the pay band 2 with grade pay of Rs. 4600.	Selection Committee for direct recruitment/ promotion/ confirmation:- (i) Chief Management Services Officer, FSSAI Chairman (ii) Director (Management), FSSAI- Member (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer – Member	30 years
------------------------	--	--	----------------	--	--	----------

46. Librarian	By direct recruitment failing which by deputation.	(i) Master's Degree in Library Science with not less than 55% marks from a recognised university or institutions or equivalent from a recognised University or institution. (iii) three years working experience.	Not applicable	Deputation: Officers from Central or State Governments/ Autonomous Bodies with Library Science background and experience: (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis; or (ii) with at least five years regular service in the next lower grade of pay band 1 with grade pay of Rs.2400 or equivalent.	Selection Committee for deputation/ direct recruitment/ confirmation:- (i) Chief Management Services Officer, FSSAI —Chairman. (ii) Director (Management) —Member (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer —Member	
----------------------	--	--	----------------	--	---	--

PAWAN KUMAR AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADAVT-III/4/Exty./374/187-O]